



भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई - 400 001

आरबीआई/2014-15/5

मास्टर परिपत्र सं.14/2014-15

1 जुलाई 2014

(20 नवंबर 2014 तक अद्यतन)

सभी श्रेणी - I प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/महोदय

मास्टर परिपत्र - माल और सेवाओं का निर्यात

समय-समय पर यथा संशोधित, 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.जीएसआर 381 (ई) अर्थात् विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता) नियमावली, 2000 के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (ए) और उप-धारा (3) के अनुसार भारत से माल और सेवाओं के निर्यात की अनुमति है।

2. यह मास्टर परिपत्र "भारत से माल और सेवाओं का निर्यात" विषय पर वर्तमान अनुदेशों को एक स्थान पर समेकित करता है। निहित परिपत्रों/अधिसूचनाओं की सूची इस मास्टर परिपत्र में समेकित है जो परिशिष्ट में दी गई है।

3. नए अनुदेश जारी होने पर, इस मास्टर परिपत्र को समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। मास्टर परिपत्र किस तारीख तक अद्यतन है, इसका उचित रूप में उल्लेख किया जाता है।

4. सामान्य मार्गदर्शन के लिए इस मास्टर परिपत्र का संदर्भ लिया जाए। आवश्यक होने पर विस्तृत जानकारी के लिए प्राधिकृत व्यक्ति और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक संबंधित परिपत्रों/ अधिसूचनाओं का संदर्भ लें।

भवदीय,

(सी.डी.श्रीनिवासन)

मुख्य महाप्रबंधक

अनुक्रमणिका

भाग - 1

ए. प्रस्तावना

भाग - 2

- बी निर्यात के लिए सामान्य दिशानिर्देश
- बी -1 घोषणा से छूट
- बी -2 प्राप्ति और भुगतान की विधि
- बी -3 माल/साफ्टवेयर/सेवाओं की निर्यात आय की वसूली और उसका प्रत्यावर्तन
- बी -4 विदेशी करेंसी खाते
- बी -5 डायमंड डॉलर खाते
- बी-6 विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाता
- बी-7 समुद्रपारीय कार्यालयों के लिए विदेश में कार्यालयों की स्थापना और अचल संपत्ति का अधिग्रहण
- बी -8 निर्यातों की जमानत पर अग्रिम भुगतान
- बी -9 विदेश में व्यापार मेलों / प्रदर्शनियों के लिए ईडीएफ/एसडीएफ का अनुमोदन
- बी-10 पुनः आयात हेतु माल के निर्यात के लिए ईडीएफ/एसडीएफ का अनुमोदन
- बी-11 आंशिक आहरण / अनाहरित शेष राशि
- बी-12 परेषण निर्यात
- बी-13 विदेश में गोदाम (वेयरहाउस) खोलना/ किराए पर लेना
- बी-14 निर्यातकों द्वारा प्रलेखों का सीधे प्रेषण
- बी-15 सॉफ्टवेयर निर्यात का बीजक
- बी-16 अपूर्ण पोतलदान /रोका गया पोतलदान/
- बी-17 जवाबी (काउंटर) व्यापार व्यवस्था
- बी-18 पट्टा, भाड़े आदि पर वस्तुओं का निर्यात
- बी-19 विस्तारित ऋण शर्तों पर निर्यात
- बी-20 विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा माल का निर्यात
- बी-21 परियोजना निर्यात और सेवा निर्यात
- बी-22 मुद्रा का निर्यात
- बी-23 फारफेटिंग
- बी-24 सड़क, रेल अथवा नदी द्वारा पड़ोसी देशों को निर्यात
- बी-25 म्यांमार के साथ सीमा व्यापार
- बी-26 राज्य ऋणों की अदायगी
- बी-27 रोमानिया के साथ जवाबी व्यापारिक व्यवस्था

भाग-3

- सी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी। बैंकों के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश
- सी -1 विशिष्ट पहचान संख्या उद्धृत करना
- सी -2 ईडीएफ/एसडीएफ/साफ्टेक्स कार्यप्रणाली
- सी-3.1 ईडीएफ फार्म(पूर्ववर्ती जीआर और पीपी फार्म)
- सी-3.2 गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने वाले जलयान से पकड़े गए शिकार/ जीवों का समुद्र के बीच से ही लदान
- सी-4 एसडीएफ फार्म
- सी-5 साफ्टेक्स फार्म
- सी-6 यादृच्छिक (रैंडम) सत्यापन
- सी-7 ईईएफसी जमा का प्रमाणीकरण
- सी-8 हवाई माल/समुद्री माल का समेकन
- सी-9 निर्यातकों द्वारा पोतलदान दस्तावेजों की प्रस्तुति में विलंब
- सी-10 फार्मों की छानबीन हेतु जांच सूची
- सी-11 निर्यातकों को दस्तावेज लौटाना
- सी-12 पोत मास्टर / कारोबार प्रतिनिधि को लदान बिल की परक्राम्य प्रति सौंपना
- सी-13 निर्यात बिल रजिस्टर
- सी-14 अतिदेय बिलों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई
- सी-15 मीयादी बिलों के पूर्व भुगतान के कारण बीजक मूल्य में कमी
- सी-16 अन्य मामलों में बीजक मूल्य में कमी
- सी-17 निर्यात दावे
- सी 18 क्रेता / परेषिती (कंसाइनी) में परिवर्तन
- सी 19 समय-सीमा का विस्तार
- सी 20 निर्यात बिलों को बट्टे खाते डालना
- सी 21 ईसीजीसी और बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित निजी बीमा कंपनियों द्वारा दावों के भुगतान के मामले में बट्टे खाते डालना
- सी 22 बट्टे खाते डालना – उदारीकरण (relaxation)
- सी 23 मार्गस्थ पोतलदान का खो जाना
- सी-24 निर्यात प्राप्तियों का आयात भुगतान के साथ समायोजन (नेटिंग ऑफ)- विशेष आर्थिक क्षेत्रों की इकाइयां
- सी-25 निर्यात से प्राप्य राशियों को आयात के भुगतान से घटाना
- सी-26 निर्यातों पर एजेंसी कमीशन
- सी-27 निर्यात प्राप्यों की धन वापसी
- सी-28 सतर्कता सूची में निर्यातक

भाग-4

- संलग्नक -1 चालू खाता लेनदेन नियमावली
संलग्नक -2 फार्म ईएफसी
संलग्नक -3 कॉमन साफ्टेक्स फार्म
संलग्नक -4 संशोधित साफ्टेक्स प्रक्रिया

परिशिष्ट

भाग - I

भाग 2

बी. निर्यात के लिए सामान्य दिशा-निर्देश

बी.1 घोषणा से छूट

(i) ईडीएफ/एसडीएफ से छूट

3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.23/2000-आरबी के विनियम सं. 4 में विनिर्दिष्ट मामलों के लिए निर्धारित फार्म में माल और सॉफ्टवेयर के निर्यात की घोषणा की आवश्यकता लागू नहीं होगी। तथापि, निर्यातक, फेमा विनियमों के अनुसार निर्यात आय की वसूली और उसके प्रत्यावर्तन के लिए दायी होंगे।

(ii) ईडीएफ/एसडीएफ से छूट/माफी(waiver) प्रदान करना

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक निर्यात संवर्धन के लिए 5 लाख रुपए की सीमा के अधीन निर्यातकों के पिछले तीन वर्ष के औसत वार्षिक निर्यात के 2 प्रतिशत तक निःशुल्क माल के निर्यात हेतु निर्यातकों से ईडीएफ/एसडीएफ से छूट के लिए प्राप्त आवेदनों पर विचार करें। वर्तमान विदेशी व्यापार नीति के अनुसार हैसियतवाले निर्यातकों के लिए यह सीमा 10 लाख रुपए अथवा पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों (अप्रैल-मार्च) के दौरान औसत वार्षिक निर्यात वसूली का 2 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, है।

(iii) माल के निर्यात जहां प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई विदेशी मुद्रा लेनदेन शामिल नहीं है, वहाँ इसके लिए रिज़र्व बैंक से ईडीएफ/एसडीएफ प्रक्रिया में छूट लेनी आवश्यक है।

बी.2 प्राप्ति और भुगतान विधि

(i) निर्यातित माल के पूर्ण निर्यात मूल्य को दर्शाने वाली राशि 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा. 14/2000-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान की विधि) विनियमावली, 2000 में विनिर्दिष्ट तरीके से किसी प्राधिकृत व्यापारी बैंक के जरिए प्राप्त की जानी चाहिए:

(ए) बैंक ड्राफ्ट, भुगतान आदेश, बैंकर या व्यक्तिगत चेकों के रूप में।

(बी) खरीददार से भारत यात्रा के दौरान विदेशी करेंसी नोटों/विदेशी करेंसी यात्री चेकों के रूप में।

(सी) खरीददार द्वारा रखी गई एफसीएनआर/एनआरई खाता में धारित निधियों में से भुगतान के रूप में।

(डी) खरीददार के अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड से।

टिप्पणी : विदेशी क्रेताओं को उनकी यात्राओं के दौरान बेचे गए माल के संबंध में भुगतान जब अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों के जरिए प्राप्त होता है तब प्राधिकृत व्यापारी बैंक उनके नाखो खाते में निधियों की प्राप्ति पर या संबंधित प्राधिकृत व्यापारी बैंक के क्रेडिट कार्ड सेवा प्रदान करनेवाला बैंक न होने की स्थिति में, निर्यातक द्वारा भारत में क्रेडिट कार्ड सेवा प्रदान करनेवाले बैंक से प्राप्त इस आशय के एक प्रमाण पत्र के प्रस्तुतीकरण पर ही कि विदेशी मुद्रा में यह समतुल्य राशि प्राप्त हुई है, ईडीएफ/एसडीएफ (डुप्लिकेट) जारी करे। जहाँ कार्ड जारी करने वाले बैंक / संस्था विदेशी मुद्रा में प्रतिपूर्ति प्राप्त करेंगे वहाँ प्राधिकृत व्यापारी बैंक भारत के बाहर किए गए निर्यात मूल्य प्राप्त करने के लिए आयातक के क्रेडिट कार्ड के नामे द्वारा भी भुगतान प्राप्त कर सकता है।

(ii) व्यापार लेनदेन निम्नवत भी निपटाया जा सकता है :

- (ए) भारत के निवासी व्यक्ति और नेपाल अथवा भूटान के निवासी व्यक्ति के बीच सभी लेनदेनों का निपटान भारतीय रुपयों में किया जाए। तथापि, नेपाल को किए जाने वाले माल के निर्यात के मामले में, जहाँ नेपाल राष्ट्र बैंक ने नेपाल के निवासी आयातक को मुक्त विदेशी मुद्रा में भुगतान की अनुमति दी है वहाँ इस प्रकार के भुगतानों को एसीयू व्यवस्था के माध्यम से ही भेजा जाए।
- (बी) विशेष आर्थिक क्षेत्रों और ईओयू की इकाइयों द्वारा निर्यात भुगतान की प्राप्ति निर्यात किए गए स्वर्णभूषणों के मूल्य के समतुल्य कीमती धातुओं के रूप में, अर्थात् सोना/चांदी/प्लैटिनम से की जा सकती हैं, बशर्ते बिक्री संविदा में उसका प्रावधान किया गया हो और कीमती धातुओं के अनुमानित मूल्य का उल्लेख संबंधित ईडीएफ/एसडीएफ फार्मों में किया गया हो।

(iii)

ऑनलाइन पेमेंट गेटवे सर्विस प्रदाता (ओपीजीएसपी) के जरिये किये गये निर्यात से संबंधित प्राप्तियों की प्रोसेसिंग

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -1 (प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -1) बैंकों को निम्नलिखित शर्तों पर ऑनलाइन पेमेंट गेटवे सेवा प्रदाताओं (ओपीजीएसपीएस) के साथ स्थायी एग्रीमेंट करते हुए निर्यात से संबंधित विप्रेषणों के प्रत्यावर्तन की सुविधा प्रदान करने के लिए अनुमति दी जाए:

(ए) यह सुविधा प्रदान करने वाले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंकों को ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज सेवा प्रदाताओं (ओपीजीएसपीएस) के संबंध में समुचित सावधानी संबंधी छानबीन करनी/बरतनी चाहिए।

(बी) यह सुविधा 10,000 अमरीकी डॉलर (दस हजार अमरीकी डॉलर) तक (या से कम) मूल्य के माल और सेवाओं के निर्यात के लिए ही उपलब्ध होगी।

(सी) इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने वाले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -1 बैंक ऐसी व्यवस्थाओं के जरिये किये गये निर्यात संबद्ध भुगतानों की प्राप्ति के लिए नॉस्ट्रो कलेक्शन खाता खोलेंगे। जहाँ इस सुविधा का लाभ उठानेवाले निर्यातकों को ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज सेवा प्रदाताओं (ओपीजीएसपीएस) के साथ नोशनल खाता खोलना आवश्यक है, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस प्रकार के खातों में कोई निधियां रोक रखने के लिए अनुमति नहीं दी जाती है और सभी प्राप्तियां प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -1 बैंक द्वारा खोले गये नॉस्ट्रो कलेक्शन खाते में अपने आप स्वेप्ट (swept) तथा संचयित की जाती हैं।

(डी) प्रत्येक ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज सेवा प्रदाताओं (ओपीजीएसपीएस) के लिए एक अलग नॉस्ट्रो कलेक्शन खाता खोला जाए अथवा बैंक प्रत्येक ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज सेवा प्रदाताओं (ओपीजीएसपीएस) के नॉस्ट्रो खाते में लेनदेनों की रूपरेखा प्रस्तुत करेगा।

(ई) इस व्यवस्था के तहत खोले गये नॉस्ट्रो कलेक्शन खाते में केवल निर्यात राशियों का प्रतिनिधित्व करने वाली निधियों का भारत में निर्यातक के खाते में जमा के लिए प्रत्यावर्तन; ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज सेवा प्रदाताओं (ओपीजीएसपीएस) को पूर्व निर्धारित दरों/बारंबारता/व्यवस्था के अनुसार शुल्क/कमीशन का भुगतान; और जहां निर्यातक बिक्री संविदा के तहत अपना दायित्व निभाने में असफल होता है, वहां आयातक को वापस लौटाये गये प्रभारों को नामे डालने की अनुमति दी जाएगी।

(एफ) नॉस्ट्रो कलेक्शन खाते में धारित शेष राशियां आयातक से पुष्टिकरण प्राप्त होने के तुरंत बाद और, किसी भी स्थिति में, नॉस्ट्रो कलेक्शन खाते में जमा की तारीख से सात दिनों के

भीतर भारत प्रत्यावर्तित की जानी चाहिए तथा भारत स्थित किसी बैंक में संबंधित निर्यातक के खाते में जमा की जानी चाहिए।

(जी) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक लेनदेनों की वास्तविकता से स्वयं संतुष्ट होने चाहिए और उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज में रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किये गये प्रयोजन कूट उचित हैं।

(एच) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी लेनदेन के बारे में सभी संबंधित जानकारी, सूचित करने पर रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करेगा।

(आई) प्रत्येक नॉस्ट्रो कलेक्शन खाता तिमाही आधार पर मिलान तथा लेखा-परीक्षा की शर्त के अधीन होगा।

(जे) भारत में निर्यातकों की सभी भुगतान संबद्ध शिकायतों का समाधान करने का दायित्व संबंधित ऑनलाइन पेमेंट गेटवे सेवा प्रदाताओं (ओपीजीएसपीएस) का होगा।

(के) ऑनलाइन पेमेंट गेटवे सेवा प्रदाता (ओपीजीएसपीएस) जो रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट होल्डिंग-ऑन अनुमोदनों के अनुसार इस प्रकार की सेवाएं पहले से ही प्रदान कर रहे हैं, वे प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों के साथ अपनी व्यवस्था को उचित तरीके से अंतिम रूप देने के बाद तथा इस प्रयोजन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत 16 नवंबर 2010 से तीन महीने के भीतर भारत में संपर्क कार्यालय खोलेंगे। सभी नये ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज सेवा प्रदाता (ओपीजीएसपीएस) इस व्यवस्था का परिचालन करने से पहले रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से एक संपर्क कार्यालय खोलेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था/व्यवस्थाएं करने के लिए इच्छुक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक इस संबंध में एक बारगी अनुमति प्राप्त करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से संपर्क करेंगे और तदनंतर, इस प्रकार की हर व्यवस्था, जब कभी की जाती है, तो उसके ब्योरे रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करेंगे।

(iv) एशियन क्लियरिंग यूनियन मैकेनिज्म के तहत व्यवस्थापन (settlement) प्रणाली

ए) लेनदेनों/निपटानों को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से 1 जनवरी 2009 से एशियन क्लियरिंग यूनियन के सहभागियों के पास यह विकल्प होगा कि वे अपने लेनदेनों का भुगतान चाहे एसीयू डॉलर में अथवा एसीयू यूरो में करें। तदनुसार, एसीयू मौद्रिक इकाई क्रमशः 'एसीयू डॉलर' तथा 'एसीयू यूरो' के रूप में मूल्यवर्गीकृत की जायेगी जिसका मूल्य क्रमशः एक अमरीकी डालर और एक यूरो के समतुल्य होगा।

(बी) इसके अतिरिक्त, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों को अन्य सहभागी देशों के संपर्ककर्ता बैंकों में 'एसीयू डॉलर' तथा 'एसीयू यूरो' खाते खोलने तथा उनके संचलान की अनुमति होगी। संबंधित बैंकों द्वारा इन्ही खातों के माध्यम से पात्र(eligible) सभी भुगतानों का निपटान करना अपेक्षित होगा।

(सी) एसीयू मैकेनिज्म से छूट- इंडो-म्यांमार व्यापार- म्यांमार के साथ होने वाले व्यापार के लेनदेन एसीयू मैकेनिज्म के अतिरिक्त अन्य मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में निपटाए जा सकते हैं।

(डी) ईरान को भुगतान/से प्राप्तियों में आयातकों/निर्यातकों द्वारा अनुभव की जा रही समस्याओं के मद्देनजर, 27 दिसंबर 2010 से यह निर्णय लिया गया है कि ईरान के साथ व्यापार लेनदेनों सहित

सभी पात्र चालू खाता लेनदेनों का भुगतान, आगे की नोटिस मिलने तक, एसीयू मेकैनिज्म से बाहर किसी अनुमत मुद्रा में किया जाना चाहिए।

(v) निर्यात/आयात लेनदेनों के संबंध में तीसरे पक्ष को भुगतान

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवहार में हुए परिवर्तन को दृष्टि में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि निर्यात/आयात लेनदेनों हेतु तीसरे पक्ष से भुगतान प्राप्ति के लिए निम्नलिखित शर्तों के तहत अनुमति प्रदान की जाए:

ए) त्रिपक्षीय करार से समर्थित पक्का अप्रतिसंहरणीय निर्यात आदेश हो। तथापि, उन मामलों में इस बात पर जोर न दिया जाए जहां अप्रतिसंहरणीय आदेश/इनवाइस में उन परिस्थितियों का जिक्र हो जिनके तहत तीसरे पक्ष से भुगतान प्राप्त होने के संबंध में उल्लेख किया गया हो, बशर्ते:

- (i) प्राधिकृत व्यापारी बैंक लेनदेन की सदाशयता एवं निर्यात दस्तावेजों, जैसे इनवाइस/ एफआईआरसी से संतुष्ट हो।
- (ii) ऐसे लेनदेनों को करते समय प्राधिकृत व्यापारी बैंक वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (FATF) के स्टेटमेंट को ध्यान में रखें।

बी) तीसरे पक्ष से/को भुगतान केवल बैंकिंग चैनल से किए जाएं;

सी) निर्यातक को निर्यात घोषणा फार्म (EDF) में तीसरे पक्ष से विप्रेषण प्राप्त होने का उल्लेख करना चाहिए;

डी) निर्यातक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह निर्यात घोषणा फार्म (EDF) में उल्लिखित तीसरे पक्ष से निर्यात की आगम राशि वसूल करे और उसे प्रत्यावर्तित करे;

ई) बकाया राशि, यदि कोई हो, की रिपोर्टिंग एक्सओएस विवरणी में निर्यातक के नाम के समक्ष दर्शायी जाती रहेगी। हालांकि, जहां से आगम राशि वसूलनी होगी, वहां समुद्रपारीय खरीददार के नाम के बजाय घोषित तीसरे पक्ष के नाम का उल्लेख एक्सओएस विवरणी में किया जाएगा;

एफ) यदि ग्रुप II में शामिल प्रतिबंधित देशों (अर्थात सूडान, सोमालिया, आदि) में से किसी देश को पोत-लदान किया जाता है, तो भुगतान प्रतिबंध-मुक्त देश से प्राप्त होना चाहिए; और

जी) आयात संबंधी मामलों में, इनवाइस में यह उल्लेख होना चाहिए कि भुगतान (----नाम के) तीसरे पक्ष को किया जाना है, प्रविष्टिपत्र (बिल ऑफ एंट्री) में नौभार परेषक (shipper) के नाम के साथ-साथ यह भी अंकित होना चाहिए कि संबंधित भुगतान (----नाम के) तीसरे पक्ष को किया जाना है तथा आयातक को माल के आयात के लिए किए जाने वाले अग्रिम भुगतान सहित आयात से संबंधित मौजूदा अनुदेशों का अनुपालन करना चाहिए।

बी-3 माल/साफ्टवेयर/सेवाओं के निर्यात आय की वसूली और उसका प्रत्यावर्तन

यह निर्यातक की जिम्मेदारी है कि निर्यातित माल/साफ्टवेयर/सेवाओं की पूरी राशि निर्यात की तारीख से निर्धारित अवधि के अंदर वसूल करें तथा उन्हें निम्नवत भारत प्रत्यावर्तित करें।

- (i) भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयों (Units in SEZ), हैसियत वाले निर्यातकों (SHE), निर्यात उन्मुख इकाइयों (EOU), ईएचटीपी, एसटीपी तथा बीटीपी में स्थित इकाइयों सहित सभी निर्यातकों के लिए निर्यातगत आगम राशि की वसूली एवं प्रत्यावर्तन की अवधि अगली सूचना तक निर्यात की तारीख से नौ माह होगी।
- (ii) भारत के बाहर स्थापित वेयरहाउस को निर्यातित माल: वसूली होते ही, किंतु हर हालत में पोतलदान की तारीख से पंद्रह माह की अवधि के अंदर।

बी-4 विदेशी मुद्रा खाता

(i) अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेले के सहभागियों को 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.10/2000-आरबी के तहत अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) विनियमावली, 2000 के विनियम 7(7) द्वारा विदेश में एक अस्थायी विदेशी मुद्रा खाता खोलने की सामान्य अनुमति है। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी/व्यापार मेले में वस्तुओं की बिक्री द्वारा प्राप्त विदेशी मुद्रा को निर्यातक भारत से बाहर ठहरने की अवधि के दौरान उक्त खाते में जमा कर सकते हैं और खाते का परिचालन कर सकते हैं, बशर्ते खाते में शेष राशि प्रदर्शनी/व्यापार मेले की समाप्ति की तारीख से एक माह की अवधि के अंदर सामान्य बैंकिंग चैनल से भारत प्रत्यावर्तित की जाए और उसके पूरे ब्योरे संबंधित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक को सौंपे जाएं।

(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक अच्छे ट्रैक रिकार्ड वाले निर्यातकों से, कुछ नियमों और शर्तों के अधीन, भारत में तथा भारत से बाहर विदेशी करेंसी खाते खोलने के लिए फार्म ईएफ़सी (संलग्नक-2) में प्राप्त आवेदनों पर विचार कर सकता है। भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी बैंक की किसी शाखा के पास ऐसा कोई खाता खोलने के लिए आवेदन पत्रों को उस शाखा के ज़रिए प्रस्तुत करना होगा जिसके यहाँ विदेशी करेंसी खाता रखा जाना है। यदि खाता विदेश में रखा जाना है तो निर्यातक उस बैंक के पूरे ब्योरे देते हुए, जिसके पास खाता रखा जायगा, आवेदन करे।

(iii) समय-समय पर यथासंशोधित, 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 10/2000-आरबी के विनियम 7 में निर्धारित शर्तों के तहत किसी भारतीय कंपनी को भी विदेश में अपने कार्यालय/ शाखा के नाम पर उक्त कार्यालय/ शाखा अथवा प्रतिनिधि के सामान्य व्यापार परिचालन के प्रयोजन हेतु प्रेषण द्वारा भारत के बाहर के बैंक में विदेशी मुद्रा खाता खोलने, उससे लेनदेन करने और उसे बनाए रखने की अनुमति है।

(iv) विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईज़ेड) स्थित इकाई, समय-समय पर यथासंशोधित, 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.10/2000-आरबी के विनियम 6(ए) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन भारत में प्राधिकृत व्यापारी बैंक में विदेशी मुद्रा खाता खोल सकती है और रख सकती है।

(v) भारत में निवासी कोई व्यक्ति जो कि किसी परियोजना/सेवा का निर्यातक है, वह ज्ञापन पीईएम में दी गई मानक शर्तों के अधीन भारत के बाहर या भारत में किसी बैंक में विदेशी मुद्रा खाता खोल सकता है, उससे लेनदेन कर सकता है और उसे रख सकता है।

बी-5 डायमंड डॉलर खाता

- (i) भारत सरकार की योजना के तहत कच्चे (खुरदरे) या कटे हुए और पॉलिश किए हुए हीरों/प्लेन कीमती धातु की ज्वेलरी, मीनाकारी और/या हीरे और या अन्य रत्न जड़े हुए/बिना जड़े हुए जवाहरात के क्रय/विक्रय में लगी हुई फर्म और कंपनियाँ, जिनका हीरों/रंगीन रत्नों/हीरे और रंगीन रत्न जड़े हुए जवाहरात/प्लेन गोल्ड जवाहरात के आयात या निर्यात का कम से कम दो वर्षों का ट्रैक रिकार्ड है और पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों (लाइसेंसिंग वर्ष अप्रैल से मार्च तक है) के दौरान 3 करोड़ रुपए या उससे अधिक का औसत वार्षिक टर्नओवर है, उन्हें डायमंड डॉलर खातों के ज़रिए अपना कारोबार चलाने की अनुमति है।
- (ii) उन्हें अपने बैंकों के पास अधिकतम पांच डायमंड डॉलर खाते खोलने की अनुमति दी जा सकती है।
- (iii) पात्र फर्म और कंपनियाँ अनुमति हेतु अपने प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंकों को निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन कर सकती हैं।
- (iv) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक डायमंड डॉलर खाता खोलने वाली फर्म/कंपनी, जिसके नाम से डायमंड डॉलर खाता खोला गया है, द्वारा खाता खोलने/बंद करने की तारीख सहित उनके नाम तथा पते के ब्योरे देते हुए तिमाही रिपोर्ट संबंधित तिमाही के अगले माह की 10 तारीख तक विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, व्यापार प्रभाग, मुंबई को प्रस्तुत करें।
- (v) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक उनके द्वारा बनाये रखे गये डायमंड डॉलर खाते की शेष राशियों के संबंध में डाटा देते हुए पाक्षिक आधार पर एक विवरण, संबंधित पखवाड़े की समाप्ति से सात दिनों के अंदर विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, व्यापार प्रभाग, मुंबई को प्रस्तुत करें।
- (vi) पैरा बी.6 (iv) में दर्शायी गयी शर्तें भी लागू होंगी।

बी-6 विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाता

- (i) समय-समय पर यथासंशोधित, 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.10/2000-आरबी के तहत अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) विनियमावली, 2000 के विनियम 4 के अनुसार भारत में निवासी व्यक्ति भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी बैंक के पास विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाते के रूप में अभिहित विदेशी मुद्रा खाता खोल सकता है।
- (ii) निवासी व्यक्तियों को कंपनी अधिनियम, 1956 में यथापरिभाषित निवासी निकट/घनिष्ठ संबंधी/रिश्तेदार को ईईएफसी बैंक खाते के संयुक्त धारक के रूप में शामिल करने की अनुमति 'प्रथम या उत्तरजीवी' के आधार पर दी जाए। हालाँकि, ऐसा भारतीय निवासी घनिष्ठ संबंधी, जिसे संयुक्त खाता धारक के रूप में शामिल करने की पात्रता दी गयी है, निवासी खाता धारक के जीवन काल में उक्त खाते के परिचालन के लिए पात्र नहीं होगा।
- (iii) यह खाता ब्याज रहित चालू खाते के रूप में ही रखा जाएगा। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाते के जमाशेष की जमानत पर निधि आधारित

अथवा गैर-निधि आधारित ऋण सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।

(iv) सभी श्रेणियों के विदेशी मुद्रा अर्जकों को अपने 100% विदेशी मुद्रा अर्जन निम्नलिखित शर्तों के तहत अपने विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाते में जमा करने की अनुमति है:

ए) कैलेण्डर माह के दौरान खाते में उपचित / आयी कुल राशि अनुमोदित प्रयोजनों अथवा वायदा प्रतिबद्धताओं के लिए समायोजित करने पर शेष रही पूरी राशि अनुवर्ती कैलेण्डर माह के अंतिम दिन को या उससे पूर्व रुपये में परिवर्तित की जाए। इसके अलावा, विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता धारकों को विदेशी मुद्रा क्रय करने की अपेक्षा होने पर विदेशी मुद्रा बाजार में जाने की अनुमति है।

बी) विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता (EEFC) योजना सुविधा का अभिप्राय यह है कि विदेशी मुद्रा अर्जक, भविष्य में विदेशी मुद्रा लेनदेन करते समय मुद्रा परिवर्तन/ लेनदेन लागत में बचत कर सकें। इस सुविधा का अभिप्राय यह नहीं है कि विदेशी मुद्रा अर्जक, विदेशी मुद्रा में परिसंपत्तियाँ बनाये रखें क्योंकि भारत में अभी भी पूँजीगत लेखे पूर्णतः परिवर्तनीय नहीं हैं।

(v) यह नोट किया जाए कि उल्लिखित पैराग्राफ (iv)(ए) और (iv)(बी) के उपबंध, यथोचित परिवर्तनों सहित, निवासी विदेशी मुद्रा खाते अथवा डायमंड डॉलर खाते के धारकों पर भी लागू होंगे।

(vi) पात्र ऋण, निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व करता है:

(ए) सामान्य बैंकिंग चैनल से प्राप्त आवक विप्रेषण, और भारतीय रिज़र्व बैंक को दिए गए किसी वचन पत्र के अनुसरण में प्राप्त विप्रेषण अथवा जुटाए गए विदेशी करेंसी ऋण अथवा भारत के बाहर से प्राप्त निवेश अथवा विशेष दायित्वों को पूरा करने के लिए खाता धारक द्वारा प्राप्त की गई प्राप्तियों से भिन्न हैं।

(बी) घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) की इकाई द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई को माल की आपूर्ति करने के लिए उसके विदेशी मुद्रा खातों में से प्राप्त भुगतान।

(vii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक, समय-समय पर यथासंशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 3/2000-आरबी के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन, अपने निर्यातक ग्राहकों को उनके ईईएफसी खाते में से समुद्रपारीय आयातकों को, बिना किसी सीमा के व्यापार संबंधी ऋण/ अग्रिम देने की अनुमति दे सकते हैं।

(viii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक निर्यातकों को रुपया या विदेशी मुद्रा में लिए गए पैकिंग क्रेडिट अग्रिमों को उनके ईईएफसी खाते में जमा शेष राशि में से और अथवा रुपया स्रोतों से, वास्तव में किए गए निर्यात की सीमा तक, चुकौती करने की अनुमति दे सकते हैं।

बी-7 विदेश में कार्यालय खोलना और समुद्रपारीय कार्यालयों के लिए अचल संपत्ति का अधिग्रहण

(i) भारत से बाहर कार्यालय खोलते समय, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक शुरुआती खर्चों के लिए पिछले दो लेखा वर्ष की औसत वार्षिक बिक्री/आय अथवा टर्नओवर के पंद्रह प्रतिशत तक अथवा निवल मालियत के पच्चीस प्रतिशत तक, जो भी अधिक हो, के विप्रेषण की अनुमति दे सकते हैं।

- (ii) भारत के बाहर कार्यालय (व्यापारिक/गैर-व्यापारिक)/ शाखा या प्रतिनिधि कार्यालय के सामान्य कारोबारी परिचालन के प्रयोजन के आवर्ती खर्चों के लिए पिछले दो वित्तीय वर्ष के दौरान औसत वार्षिक बिक्री/ आय या टर्नओवर के दस प्रतिशत तक निम्नलिखित शर्तों पर विप्रेषण भेजा जा सकता है :
- (ए) समुद्रपारीय शाखा/ कार्यालय खोलना या प्रतिनिधि की तैनाती भारतीय कंपनी के सामान्य कार्यकलाप को करने के लिए की गई है;
- (बी) समुद्रपारीय शाखा/कार्यालय/प्रतिनिधि अधिनियम, उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों का उल्लंघन करते हुए कोई संविदा या करार नहीं करेगा।
- (सी) समुद्रपारीय कार्यालय (व्यापारिक/गैर-व्यापारिक)/शाखा/प्रतिनिधि कार्यालय भारत स्थित प्रधान कार्यालय के लिए आकस्मिक या अन्य प्रकार की वित्तीय देयताएं सृजित नहीं करेगा और भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बगैर विदेश में अतिरिक्त निधियों का निवेश भी नहीं करेगा। अतिरिक्त निधियां होने पर उन्हें भारत प्रत्यावर्तित किया जाएगा।
- (iii) विदेश में खोले गए बैंक खाते के ब्योरों की सूचना तत्काल प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक को दी जाए।
- (iv) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक भारत में निगमित कंपनियों को, जिनके समुद्रपारीय कार्यालय हैं, प्रारंभिक और आवर्ती खर्चों, अपने व्यापार और स्टाफ के रिहाइशी प्रयोजनों हेतु भारत के बाहर अचल संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए भी उपर्युक्त सीमा के अंदर विप्रेषण की अनुमति दे सकते हैं।
- (v) सॉफ्टवेयर निर्यातक कंपनी/फर्म के समुद्रपारीय कार्यालय/की शाखा प्रत्येक "ऑफ साइट" संविदा के मूल्य का 100 प्रतिशत भारत को प्रत्यावर्तित कर सकती हैं।
- (vi) "ऑन साइट " संविदा लेनेवाली कंपनियों के मामले में, वे ऐसी "ऑन साइट " संविदाओं के लाभ को उक्त संविदा के पूरा होने के बाद प्रत्यावर्तित करें।
- (vii) समुद्रपारीय कार्यालय द्वारा की गई "ऑफ साइट" और "ऑन साइट" संविदाओं के तहत प्राप्तियों और उस/उन पर हुए व्यय और प्रत्यावर्तन को दर्शाते हुए लेखापरीक्षित वार्षिक विवरण प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंकों को भेजा जाए।

बी-8 निर्यात के लिए अग्रिम विप्रेषण

- (1) 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.23/2000-आरबी के विनियम 16 के अनुसार जहां निर्यातक भारत से बाहर के क्रेता से अग्रिम भुगतान (ब्याज के साथ अथवा बगैर ब्याज के) लेता है, वहाँ निर्यातक का दायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि माल का लदान अग्रिम भुगतान प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष के अंदर किया जाए; अग्रिम भुगतान पर यदि कोई ब्याज देय हो तो उसकी दर लिबोर+100 आधार बिंदु से अधिक न हो, और लदान को कवर (cover) करनेवाले दस्तावेज़, उस प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक के माध्यम से भेजे जाएं, जिसके माध्यम से अग्रिम भुगतान प्राप्त किया

गया है। बशर्ते कि अग्रिम भुगतान प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष के अंदर निर्यातक द्वारा अंशतः या पूर्णतः लदान करने में असमर्थ होने की स्थिति में, रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना एक वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अग्रिम भुगतान के उपयोग न किए गए अंश की धनवापसी या ब्याज के भुगतान के लिए विप्रेषण नहीं किया जाएगा।

(2) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक, न्यूनतम तीन वर्षों का संतोषजनक ट्रैक रेकार्ड रखने वाले निर्यातकों को, दीर्घावधि आपूर्ति संविदाओं को पूरा (execute) करने में उपयोग के लिए अधिकतम 10 वर्षों की तक की अवधि के दीर्घावधि अग्रिमों की प्राप्ति हेतु भी, निम्नलिखित शर्तों के तहत, अनुमति प्रदान कर सकते हैं :

- i. पक्का, अप्रतिसंहरणीय (irrevocable) आपूर्ति आदेश एवं संविदा प्राप्त हो। उत्पाद की कीमत प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप हो।
- ii. कंपनी क्षमता, सिस्टम और प्रोसेस से सज्ज हो ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपूर्ति आदेश के अनुसार विनिर्दिष्ट अवधि में आपूर्ति आदेश पूरा किया जा सकेगा।
- iii. यह सुविधा केवल उन एंटीटीज़ को दी जाए जो प्रवर्तन निदेशालय अथवा ऐसी किसी विनियामक एजेंसी की प्रतिकूल नाटिस में न हों अथवा जिन्हें सतर्कता सूची में न डाला गया हो।
- iv. ऐसे अग्रिमों को भावी निर्यातों के प्रति समायोजित किया जाना चाहिए।
- v. यदि कोई ब्याज देय हो तो वह लिबोर+200 आधार अंक से अधिक नहीं होना चाहिए।
- vi. दस्तावेज केवल एक प्राधिकृत व्यापारी बैंक के माध्यम से आने-जाने (route होने) चाहिए।
- vii. प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा एएमएल/केवायसी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- viii. ऐसे निर्यात अग्रिमों का इस्तेमाल अनर्जक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत रुपया ऋणों की अदायगी के लिए नहीं किया जाएगा।
- ix. निर्यात आदेश को पूरा करने के लिए कार्यशील पूंजी के रूप में दोहरे वित्तपोषण से बचना चाहिए।
- x. 100 मिलियन अमरीकी डालर या अधिक के ऐसे अग्रिमों की प्राप्ति से व्यापार प्रभाग, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को तुरंत अवगत कराया जाए।
- xi. ए) यदि प्राधिकृत व्यापारी बैंक से निर्यात निष्पादन के संबंध में बैंक गारंटी/ आपाती साखपत्र जारी करने की अपेक्षा हो तो बोर्ड अनुमोदित नीति के आधार पर, अन्य बातों के साथ-साथ, विवेकपूर्ण अपेक्षाओं को भी ध्यान में रखते हुए किसी अन्य क्रेडिट प्रस्ताव की भांति कड़ाई के साथ उनका मूल्यांकन किया जाए।
बी) बैंक गारंटी/आपाती साखपत्र एक बार में दो वर्षों से अधिक अवधि के लिए जारी न किए जाएं और इसके बाद एक बार में रोल ओवर दो वर्षों तक का ही दिया जा सकता है बशर्ते संविदा के अनुसार निर्यात निष्पादन संतोषजनक हो।
सी) बैंक गारंटी/आपाती साखपत्र द्वारा केवल घटे हुए अग्रिम शेष को कवर किया जाना

चाहिए।

डी) ओवरसीज़ क्रेता के पक्ष में भारत से जारी बैंक गारंटी/आपाती साखपत्र की निरंतरता को ओवरसीज़ शाखा/भारत में बैंक की सहायक संस्था द्वारा रद्द नहीं किया जाना चाहिए।

(xii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक विभिन्न शाखाओं/बैंकों में रखे गए निर्यातक के ईईएफसी खाते में धारित संपूर्ण शेष राशि के उपयोग के बाद ही ईईएफसी खाते में जमा अग्रिम भुगतान से धनवापसी के लिए बाज़ार से विदेशी मुद्रा खरीदने की अनुमति दे सकते हैं।

टिप्पणी : प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक गारंटी और सह-स्वीकार्यता पर डीबीओडी द्वारा जारी मास्टर परिपत्र से भी मार्गदर्शन ग्रहण करें।

(3) ऐसे माल जिनके तैयार होने एवं पोत लदान (शिपिंग) में एक वर्ष से अधिक का समय लगता है और जहां 'निर्यात करार' में निर्यात अग्रिम की प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष के बाद पोत लदान का प्रावधान है ऐसे मामलों में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक निम्नलिखित शर्तों के तहत निर्यातकों को निर्यात अग्रिम प्राप्त करने की अनुमति दे सकते हैं:

- (i) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक ने ओवरसीज़ क्रेता के लिए अपने ग्राहक को जानने (केवायसी) और समुचित सावधानी (ड्यू डिलीजेंस) बरतने संबंधी प्रक्रिया पूरी कर ली हो;
- (ii) धनशोधन निवारण (एएमएल) मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया हो;
- (iii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्यातक द्वारा प्राप्त किए गए निर्यात अग्रिम का उपयोग, निर्यात निष्पादित (execute) करने के लिए किया जाए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं अर्थात् लेनदेन वास्तविक (bonafide) लेनदेन हो;
- (iv) कार्य की प्रगति के अनुसार किया जाने वाला भुगतान (progress payment), यदि हो, तो वह संविदा की शर्तों के अनुसार ही (strictly) ओवरसीज़ क्रेता से सीधे प्राप्त किया जाए;
- (v) अग्रिम भुगतान पर, यदि कोई ब्याज देय हो, तो उसकी दर लिबोर+100 आधार अंक से अधिक नहीं होनी चाहिए;

(vi) विगत तीन वर्षों में प्राप्त अग्रिम भुगतान के 10% से अधिक की धन वापसी का कोई मामला (instance) नहीं होना चाहिए;

(vii) पोत लदान (शिपमेंट) को कवर करने वाले दस्तावेज एक ही प्राधिकृत व्यापारी बैंक के माध्यम से आने-जाने (route होने) चाहिए।

(viii) निर्यातक द्वारा पूर्णतः अथवा अंशतः पोत लदान (शिपमेंट) कर पाने में असमर्थता की स्थिति में, अग्रिम भुगतान की उपयोग न हुई राशि अथवा ब्याज के भुगतान के लिए विप्रेषण, रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना, नहीं किया जाएगा।

बी-9 विदेश में व्यापार मेले/ प्रदर्शनी के लिए ईडीएफ/एसडीएफ का अनुमोदन

1. विदेश में व्यापार मेले/प्रदर्शनी में भाग लेने वाली फर्मों/कंपनियों और अन्य संगठनों को भारत के बाहर प्रदर्शनी में भाग लेने और बिक्री हेतु माल ले जाने/निर्यात करने के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति की

आवश्यकता नहीं है। जिन वस्तुओं की प्रदर्शनी में बिक्री नहीं हो पाती है उन्हें उसी देश में प्रदर्शनी/व्यापार मेले के बाहर या किसी अन्य तीसरे देश में बेच सकते हैं। इस प्रकार की बिक्री बढ़ाकृत मूल्य में भी की जा सकती है। प्रति प्रदर्शनी/ व्यापार मेले में प्रति निर्यातक को 5000 अमरीकी डॉलर मूल्य की न बिकी हुई वस्तुओं को उपहार में देने की भी अनुमति है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक, भारत के बाहर व्यापार मेले/ प्रदर्शनी में प्रदर्शन या प्रदर्शन-व-बिक्री हेतु निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के लिए ईडीएफ/एसडीएफ फार्म को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदन दे सकते हैं :

- (i) निर्यातक, न बिकी हुई वस्तुओं के भारत में पुनः आयात के लिए संबंधित आगत-बिल को एक माह के भीतर प्रस्तुत करें।
- (ii) बिक्री की गई वस्तुओं की बिक्री आय भारत में विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा की वसूली, प्रत्यावर्तन और अभ्यर्षण) विनियमावली, 2000 के अनुसार प्रत्यावर्तित की जाती है।
- (iii) निर्यातक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक को निर्यात की गई सभी वस्तुओं के निपटान विधि के साथ-साथ भारत में आय की प्रत्यावर्तन पद्धति के बारे में रिपोर्ट करेगा।
- (iv) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक द्वारा अनुमोदित इस प्रकार के लेनदेन उनके आंतरिक निरीक्षक/लेखा परीक्षक द्वारा शत-प्रतिशत लेखापरीक्षा के अधीन होंगे।

बी-10 पुनः आयात हेतु माल के निर्यात के लिए ईडीएफ/एसडीएफ का अनुमोदन

- (i) ऐसे मामलों में जहां माल का निर्यात मरम्मत/ रखरखाव/ परीक्षण/ कैलिब्रेशन आदि के बाद पुनःआयात के लिए किया जाता है, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक ईडीएफ/एसडीएफ अनुमोदन देने के लिए निर्यातकों के अनुरोधों पर विचार कर सकते हैं, बशर्ते निर्यातक भारत से निर्यातित वस्तुओं के पुनः आयात के एक महीने के अंदर संबंधित आगत-बिल (बिल ऑफ एंट्री) प्रस्तुत करें।
- (ii) जहां परीक्षण के लिए निर्यातित वस्तुएं परीक्षण के दौरान नष्ट हो जाती हैं, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक आयात के लिए बिल ऑफ एंट्री के बदले परीक्षण करनेवाली एजेंसी से इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करे कि परीक्षण के दौरान वस्तुएं नष्ट हो गई हैं।

बी-11 आंशिक आहरण/ अनाहरित शेष राशि

- (i) कतिपय निर्यात व्यापार के कार्यक्षेत्रों में निरीक्षण और विश्लेषण के लिए माल के आने के बाद तौल, मात्रा आदि सुनिश्चित किए जाने पर उसमें पाए गए अंतर के समायोजन के बाद भुगतान हेतु अनाहरित बीजक मूल्य का एक छोटा अंश छोड़ देने की प्रथा है। ऐसे मामलों में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक बिलों की बिक्री बातचीत से तय कर सकते हैं, बशर्तः-
 - (ए) पूर्ण निर्यात मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत की शर्त के अधीन निर्यात व्यापार के विशिष्ट कार्यक्षेत्र में अनाहरित शेष राशि को सामान्य समझा जाता हो।
 - (बी) निर्यातक से ईडीएफ/एसडीएफ फार्मों की अनुलिपि पर इस आशय का एक वचन-पत्र प्राप्त किया जाता है कि वह वसूली हेतु निर्धारित अवधि के अंदर पोतलदान के शेष आगम अभ्यर्षित करेगा/लेखा-जोखा देगा।
- (ii) उन मामलों में जहाँ निर्यातक को अनाहरित शेष के प्रत्यावर्तन के लिए काफी प्रयास के बावजूद व्यवस्था कर पाना संभव नहीं हुआ, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक मामले की प्रामाणिकता (bona

fides) के बारे में संतुष्ट होने पर यह सुनिश्चित करें कि जिसके लिए शुरू में (अनाहरित शेषों को छोड़कर) निर्यातक ने कम से कम मूल्य का बिल आहरित किया था अथवा ईडीएफ/एसडीएफ फार्म पर घोषित मूल्य का 90 प्रतिशत, जो भी अधिक है, की वसूली की है और पोत लदान की तिथि से एक वर्ष की अवधि बीत चुकी है।

बी-12 परेषण निर्यात

- (i) जब परेषण (consignment) आधार पर माल का निर्यात किया गया है, तब प्राधिकृत व्यापारी बैंक अपनी विदेशी शाखा/संपर्ककर्ता को पोत लदान दस्तावेजों को भेजते समय यह सूचित करें कि निर्यात के प्राप्यों की वसूली हेतु निर्धारित अवधि के भीतर किसी विशिष्ट तिथि को बिक्री प्राप्यों की सुपुदगी के लिए न्यास (trust) रसीद / वचन पत्र पर ही उन्हें सुपुर्द करें। इस क्रियाविधि का अनुसरण कतिपय व्यापारों में प्रथा के अनुसार तब भी करना चाहिए जब अनुमानित मूल्य के अंश के लिए बिल निर्यातों पर अग्रिम के रूप में आहरित है।
- (ii) एजेंट/परेषिती उतराई प्रभारों, गोदाम भाड़ा, हैंडिलिंग प्रभारों आदि, जैसे माल की प्राप्ति, भंडारण और बिक्री पर सामान्यतः किए गए माल के खर्चों की बिक्री प्राप्यों से कटौती करके शुद्ध प्राप्य निर्यातक को प्रेषित करे।
- (iii) एजेंट/परेषिती से प्राप्त बिक्रय-लेखा की जाँच प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा की जानी चाहिए। बिक्रय-लेखा में कटौतियों के साथ, डाक टिकट/केबल प्रभारों, स्टैम्प ड्यूटी आदि जैसी फुटकर मदों के मामले को छोड़कर, बिल/रसीदें मूल रूप में लगी होनी चाहिए।
- (iv) परेषण आधार पर निर्यात किये जाने वाले माल के मामले में भाड़े और नौवहन बीमा की व्यवस्था भारत में ही की जाए।
- (v) प्राधिकृत व्यापारी बैंक, निर्यातक को बिक्री करार अवधि की समाप्ति पर न बिकी हुई शेष पुस्तकों के छोड़ देने की अनुमति दे सकते हैं। तदनुसार, निर्यातक न बिकी हुई शेष पुस्तकों के मूल्य को बिक्रय-लेखा में निर्यात आय से कटौती के रूप में दर्शाए।

बी-13 विदेश में गोदाम (वेयरहाउस) खोलना/किराये पर लेना

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक, विदेश में गोदाम खोलने/किराए पर लेने के लिए निर्यातकों से प्राप्त आवेदन पर विचार कर सकते हैं और निम्नलिखित शर्तों के अधीन उन्हें अनुमति दे सकते हैं:

- (i) आवेदक का निर्यात बकाया पिछले वर्ष में किए गए निर्यात के 5 प्रतिशत से ज्यादा न हो।
- (ii) आवेदक का पिछले वर्ष के दौरान न्यूनतम निर्यात टर्न-ओवर 100,000/- अमरीकी डॉलर रहा हो।
- (iii) वसूली की अवधि वही हो जो कि लागू है।
- (iv) सभी लेनदेन, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक की नामित शाखा के माध्यम से, किए जाएंगे।
- (v) निर्यातकों को उक्त अनुमति प्रारंभ में एक साल के लिए दी जाए और उसके बाद आवेदक द्वारा उपर्युक्त अपेक्षाएं पूरी करने की शर्त पर नवीकरण हेतु विचार किया जा सकता है।
- (vi) ऐसी अनुमति/अनुमोदन देने वाले प्राधिकृत व्यापारी बैंक श्रेणी 1 दिए गए अनुमोदनों का उचित रिकार्ड रखेंगे।

बी-14 निर्यातकों द्वारा प्रलेखों (documents) का सीधा प्रेषण

1. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक, सामान्यतः लदान प्रलेख अपनी विदेशी शाखाओं/ संपर्ककर्ता को तुरंत भेजें। तथापि, वे ऐसे मामलों में लदान प्रलेखों को सीधे परेषिती अथवा माल के अंतिम गंतव्य देश में निवासी एजेंट को भेजें, जहां:
 - (i) निर्यात लदान के पूर्ण मूल्य का अग्रिम भुगतान अथवा अप्रतिसंहरणीय साख पत्र प्राप्त हुआ हो और अंतर्निहित बिक्री संविदा/साखपत्र में लदान प्रलेखों को सीधे परेषिती अथवा माल के अंतिम गंतव्य देश में निवासी अपने एजेंटों को भेजने का प्रावधान हो।
 - (ii) यदि निर्यातक नियमित ग्राहक है और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक, निर्यातक की प्रतिष्ठा और पिछले कार्यनिष्पादन रिकार्ड तथा निर्यात प्राप्तियों की वसूली हेतु की गई व्यवस्था से संतुष्ट है तो ऐसा अनुरोध स्वीकार किया जा सकता है।
2. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक, "हैसियतवाले निर्यातक" (विदेशी व्यापार नीति में यथा परिभाषित) को और विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईज़ेड) की इकाइयों को भारत के बाहर के परेषिती को निर्यात दस्तावेज़ भेजने की अनुमति भी निम्नलिखित शर्तों के अधीन दे सकते हैं:
 - (i) ईडीएफ/एसडीएफ फॉर्म में उल्लिखित प्राधिकृत व्यापारी बैंक के माध्यम से निर्यात आय प्रत्यावर्तित की गयी है।
 - (ii) निर्यातक ने निर्यात की तिथि से 21 दिन के भीतर ईडीएफ/एसडीएफ फॉर्म की प्रतिलिपि प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक, को निगरानी हेतु प्रस्तुत की है।
3. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक, निर्यातक द्वारा सीधे परेषिती को अथवा माल के अंतिम गंतव्य देश में रहने वाले एजेंट को 1 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य तक के प्रति निर्यात शिपमेंट के पोत शिपमेंट दस्तावेज़ भेजने के मामलों को निम्नलिखित शर्तों के तहत नियमित कर सकते हैं :
 - (i) संपूर्ण निर्यात आय की वसूली हो चुकी हो ।
 - (ii) निर्यातक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक का कम से कम छः माह से नियमित ग्राहक रहा हो ।
 - (iii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक में निर्यातक के खाते के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के 'अपने ग्राहक को जानिए'/'धन शोधन निवारक' पर मौजूदा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया हो ।
 - (iv) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक, लेनदेनों की वास्तविकता से संतुष्ट हो ।
 - (v) किसी प्रकार का संदेह होने पर, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक, एफआईयू-आईएनडी (भारत में वित्तीय आसूचना इकाई) में संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) दर्ज करवा सकते हैं।

बी.15 सॉफ्टवेयर निर्यात का बीजक

- (i) प्रेषणों की श्रृंखला को शामिल करनेवाले दीर्घावधि संविदाओं के संबंध में, निर्यातक, अपने विदेशी ग्राहकों को आवधिक रूप से अर्थात् माह में कम से कम एक बार अथवा विदेशी ग्राहक के साथ की

गई संविदा में दिए गए अनुसार "महत्वपूर्ण स्थिति" पर पहुँचने पर बिल दें और अंतिम बीजक/बिल संविदा की पूरी होने की तिथि से 15 दिन के अंदर दें। निर्यातकों के लिए यह उचित होगा कि वह एक माह में प्राप्त अग्रिम विप्रेषणों सहित किसी विशिष्ट विदेशी ग्राहक के लिए बनाए गए सभी बीजकों के लिए एक समेकित सॉफ्टवेक्स फार्म प्रस्तुत करें।

(ii) केवल "एक खेप परिचालन" (one shot operation) को शामिल करनेवाली संविदाओं के संबंध में बीजक/बिल प्रेषण की तिथि से 15 दिन के भीतर तैयार किया जाना चाहिए।

(iii) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर और ऑडिओ वीडिओ/टेलिविज़न सॉफ्टवेयर के निर्यात के बारे में निर्यातक घोषणा फार्म सॉफ्टवेक्स में, चार प्रतियों में, मूल्यांकन प्रमाणीकरण हेतु एसटीपीआई/ईपीजेड/एफटीजेड/एसईजेड स्तर पर भारत सरकार के संबंधित नामित अधिकारी को बीजक की तिथि से/उक्त दर्शाए गए अनुसार माह में बनाए गए पिछले(last) बीजक की तिथि से 30 दिनों के अंदर प्रस्तुत करें। नामित अधिकारी उनके पास पंजीकृत इओयू से संबंधित सॉफ्टवेक्स फॉर्मों को भी प्रमाणित करें।

(iv) उक्त मद (i) और (ii) के अनुसार विदेशी ग्राहकों पर जारी बीजक भारत सरकार के संबंधित नामित अधिकारी द्वारा सॉफ्टवेक्स फार्म में घोषित निर्यात के मूल्यांकन और बीजक मूल्य में किए गए तदनरूपी संशोधन, यदि आवश्यक हो, के अधीन होंगे।

बी.16 आंशिक (short) पोतलदान/ रोका गया पोतलदान

(i) जब सीमा शुल्क विभाग के पास पहले से फाइल किए गए किसी ईडीएफ/एसडीएफ फार्म द्वारा कवर किए गए पोतलदान का कोई हिस्सा, अपूर्ण पोतलदान वाला हो जाता है, तो निर्यातक निर्धारित फार्म और तरीके से सीमा शुल्क विभाग को अपूर्ण पोतलदान की सूचना दे। सीमाशुल्क विभाग से प्रमाणित अपूर्ण पोतलदान की सूचना प्राप्त करने में विलंब होने के मामले में निर्यातक प्राधिकृत व्यापारी बैंक को इस आशय का एक वचन पत्र दे कि उसने अपूर्ण पोतलदान की सूचना सीमाशुल्क विभाग के पास फाइल की है और प्राप्त होते ही वह उसे यथाशीघ्र प्रस्तुत करेगा।

(ii) जहाँ पोतलदान पूरी तरह रोक दिया गया है और पुनः पोतलदान की व्यवस्था होने में विलंब है, वहाँ निर्यातक इस प्रयोजन हेतु दो प्रतियों में निर्धारित तरीके और निर्धारित फार्म में उपयोग न किए गए ईडीएफ/एसडीएफ फार्म और पोतलदान बिल की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए कस्टम विभाग को सूचना दे। कस्टम विभाग यह जाँच करेगा कि पोतलदान सचमुच रोका गया है और सूचना को सही प्रमाणित करते हुए उपयोग न किए गए ईडीएफ/एसडीएफ फार्म की दूसरी प्रति के साथ उसे रिज़र्व बैंक को भेजेगा। इस स्थिति में, कस्टम विभाग से पहले ही प्राप्त मूल ईडीएफ/एसडीएफ फार्म को रद्द कर दिया जाएगा। यदि पोतलदान बाद में किया जाता है तो ईडीएफ/एसडीएफ फार्म का नया सेट भरा जाए।

बी.17 जवाबी (काउंटर) व्यापार व्यवस्था

भारतीय रिज़र्व बैंक, जवाबी व्यापार प्रस्तावों पर, जिनमें कि भारत में खोले गए अमरीकी डॉलर में एस्क्रो खाते के ज़रिए भारतीय पार्टी और विदेशी पार्टी के बीच स्वैच्छिक रूप से की गई व्यवस्था के अनुसार भारत से

निर्यातित माल के मूल्य के बदले भारत में आयातित सामानों के मूल्य के समायोजन शामिल है, निम्नलिखित शर्तों के अधीन विचार करेगा:

- (i) इस व्यवस्था के तहत सभी आयात और निर्यात, विदेश व्यापार नीति और विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर होना चाहिए।
- (ii) एस्क्रो खाते में जमा शेषों पर ब्याज देय नहीं होगा किंतु अस्थायी रूप से अधिशेष रही निधियों को एक वर्ष में (अर्थात् 12 महीनों के एक ब्लॉक में) तीन महीनों की कुल अवधि तक अल्पकालीन जमा के रूप में रखा जा सकता है और बैंक लागू दर पर ब्याज अदा कर सकते हैं।
- (iii) निधि आधारित/अथवा गैर निधि आधारित सुविधाएं देने की अनुमति एस्क्रो खातों में धारित शेषों के लिए नहीं होगी।
- (iv) विदेशी निर्यातक/संगठन एस्क्रो खाता खोलने की अनुमति हेतु आवेदन अपने प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक के ज़रिए भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करें।

बी-18 पट्टा, भाड़े आदि पर वस्तुओं के निर्यात

पट्टा किराया/भाड़ा प्रभारों की वसूली और आखिरी पुनः आयात पर विदेशी पट्टाधारी के साथ करारनामा के तहत पट्टा/ भाड़ा आदि आधार पर मशीनरी, उपकरण के निर्यात के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है। निर्यातक, आवश्यक अनुमति हेतु निर्यात किए जानेवाले वस्तुओं के पूर्ण ब्योरे देते हुए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक के ज़रिए रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को आवेदन करें।

बी-19 विस्तारित ऋण शर्तों पर निर्यात

विस्तारित ऋण शर्तों पर माल के निर्यात करने का इरादा रखने वाले निर्यातक पूरे ब्योरे देते हुए अपने प्रस्ताव अपने बैंकों के ज़रिए रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को विचारार्थ प्रस्तुत करें।

बी-20 विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा माल का निर्यात

(i) विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों को विदेश में नियत कार्य करने और उसी देश से माल निर्यात करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी गई है :-

(ए) प्रसंस्करण/विनिर्माण प्रभार को निर्यात कीमत में उपयुक्त ढंग से शामिल किया जाता है और वह अंतिम क्रेता द्वारा वहन किया जाता है।

(बी) सामान्य ईडीएफ/एसडीएफ प्रक्रिया के अधीन, निर्यातक द्वारा पूर्ण निर्यात मूल्य की वसूली के लिए संतोषजनक व्यवस्था की गई है।

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) की इकाइयों को विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की इकाइयों द्वारा आपूर्त माल के भुगतान हेतु विदेशी मुद्रा खरीदने की अनुमति दे सकते हैं।

(ii) एसईजेड की इकाइयों द्वारा डीटीए की इकाइयों को सेवाओं का निर्यात: एसईजेड की इकाइयों द्वारा

डीटीए की इकाइयों को दी गई सेवाओं के लिए डीटीए की इकाइयों द्वारा एसईजेड की इकाइयों को विदेशी मुद्रा में भुगतान करने हेतु डीटीए की इकाइयों को प्राधिकृत व्यापारी बैंक विदेशी मुद्रा का विक्रय करने हेतु अनुमत हैं। यह अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि एसईजेड के डेवलपमेंट कमिश्नर द्वारा एसईजेड इकाई को जारी अनुमोदन पत्र, डीटीए क्षेत्र की इकाई को एसईजेड की इकाई द्वारा आपूर्त माल/दी गई सेवाओं से संबंधित उपबंधों में विदेशी मुद्रा में भुगतान करने का उल्लेख हो।

बी-21 परियोजना निर्यात और सेवा निर्यात

(i) आस्थागित भुगतान शर्तों पर इंजीनियरिंग का सामान निर्यात करने और विदेश में तैयार हालत में प्रस्तुत की जाने वाली परियोजनाओं (टर्न की प्रोजेक्ट्स) और सिविल निर्माण संविदाओं के निष्पादन को सामूहिक रूप से "परियोजना निर्यात" के रूप में समझा जाता है। विदेशी क्रेताओं को आस्थागित भुगतान शर्तों का प्रस्ताव करने वाले भारतीय निर्यातक और विदेश में टर्न की / सिविल निर्माण कार्य लेने के लिए विश्वव्यापी टेंडर्स (निविदाओं) में भाग लेने वालों को ऐसी संविदाओं के निष्पादन से पहले अधिनिर्णयोत्तर अवस्था में प्राधिकृत व्यापारी/एक्जिम बैंक से अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है। "परियोजना निर्यातों" और "सेवा निर्यातों" से संबंधित विनियमों को परियोजना निर्यात से संबंधित संशोधित ज्ञापन (पीईएम) में निर्धारित किया गया है (पीईएम जुलाई 2014)।

(ii) तदनुसार, प्राधिकृत व्यापारी बैंक/एक्जिम बैंक, बिना किसी मौद्रिक सीमा के, पोस्ट अवार्ड अनुमोदन प्रदान कर सकते हैं तथा बाद में पोस्ट अवार्ड अनुमोदन शर्तों में संबंधित फेमा दिशानिर्देशों/विनियमावलियों के अंतर्गत परिवर्तन की अनुमति दे सकते हैं। परियोजना एवं सेवा निर्यातक अपने वाणिज्यिक निर्णय के अनुसार प्राधिकृत व्यापारी बैंक/एक्जिम बैंक से संपर्क कर सकते हैं। अनुमोदनदाता प्राधिकृत व्यापारी बैंक/एक्जिम बैंक जिन परियोजनाओं के लिए पोस्ट अवार्ड अनुमोदन प्रदान करते हैं, वे उन परियोजनाओं की निगरानी करें।

(iii) परियोजना निर्यात एवं विदेशी सेवा संविदाओं को हाथ में लेने वाले निर्यातक द्वारा पोस्ट अवार्ड अनुमोदन के लिए अनुमोदनदाता प्राधिकारी को 30 दिनों में फार्म DPX1/PEX-1/ TCS-1 प्रस्तुत करने का विनिर्देशन अब से लागू नहीं होगा।

(iv) परियोजना निर्यातकों और सेवा निर्यातकों को विदेश में उनके लेनदेनों हेतु वृहत्तर लचीलापन उपलब्ध करने के लिए निम्नवत सुविधाएँ दी गई हैं:

(ए) मशीनरी का अंतर-परियोजना अंतरण

अंतरिती परियोजना से मशीनरी आदि की बाज़ार मूल्य (अंकित मूल्य से कम नहीं) की वसूली से संबंधित प्रतिबंध हटा दिया गया है। इसके अलावा, प्रायोजक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक (बैंकों)/एक्जिम बैंक की संतुष्टि और रिपोर्टिंग अपेक्षा पूरी करने की शर्त के अधीन निर्यातक किसी भी देश में प्राप्त किसी अन्य संविदा के निष्पादन के लिए भी उस मशीनरी/ उपकरण, आदि उपयोग कर सकते हैं और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक (बैंकों)/एक्जिम बैंक इसकी निगरानी करेंगे।

(बी) निधियों का अंतर-परियोजना अंतरण

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक/एक्ज़िम बैंक निर्यातकों को किसी देश या मुद्रा में निधियों की अंतर-परियोजना अंतरणीयता के साथ उनकी पसंद की मुद्रा/मुद्राओं में एक से अधिक विदेशी मुद्रा खाता/खाते खोलने, रखने और परिचालन करने की अनुमति दे सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक/एक्ज़िम बैंक निधियों की अंतर-परियोजनागत अंतरणीयता की निगरानी करेंगे।

(सी) अस्थायी नकदी अधिशेष का विनियोजन

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक(बैंकों)/एक्ज़िम बैंक द्वारा निगरानी के अधीन, परियोजना/सेवा निर्यातक, भारत के बाहर अर्जित अपने अस्थायी नकदी अधिशेषों को खजाना बिलों और अन्य मौद्रिक लिखतों सहित विदेशी अल्पावधि पत्रों (लिखतों) जिनकी परिपक्वता या शेष अवधि एक वर्ष या उससे कम हो और स्टैंडर्ड ऐण्ड पुअर द्वारा A-1/AAA अथवा मूडीज़ द्वारा P-1/Aaa अथवा फिट्च आइबीसीए द्वारा F1/AAA, आदि रेटिंग से कम न हो में निवेश कर सकते हैं तथा भारत स्थित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंकों की भारत से बाहर की शाखाओं/सहयोगी संस्थाओं के पास जमा के रूप में रख सकते हैं।

(डी) ऑन-साइट सॉफ्टवेयर संविदाओं के मामले में निधियों का प्रत्यावर्तन

सॉफ्टवेयर निर्यातक कंपनी/फर्म द्वारा ऑन-साइट संविदाओं के संबंध में संविदा मूल्य के 30 प्रतिशत के प्रत्यावर्तन की आवश्यकता को हटा दिया गया है। फिर भी, वे पूर्वोक्त संविदाओं के पूरे होने पर ऑन-साइट संविदाओं के लाभ को प्रत्यावर्तित करें।

बी-22 मुद्रा का निर्यात

समय-समय पर यथासंशोधित, [3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.6/2000-आरबी](#) द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (मुद्रा का निर्यात और आयात) विनियमावली, 2000 के अनुसार उक्त विनियमावली के तहत प्रदान की गई सामान्य अनुमति के तहत निम्नवत अनुमत सीमा के सिवाय भारतीय मुद्रा के किसी भी निर्यात के लिए रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी:

(i) भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति अधिकतम 25,000 रुपये (पच्चीस हजार रुपये मात्र) की राशि तक के भारत सरकार के करेंसी नोट और भारतीय रिज़र्व बैंक के नोट भारत से बाहर (नेपाल और भूटान को छोड़कर) ले जा सकता है; और

(ii) भारत से बाहर रहने वाला कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का नागरिक नहीं है तथा पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाला या जाने वाला यात्री भी नहीं है, भारत आने के पश्चात केवल किसी एयरपोर्ट से भारत से बाहर जाते समय अधिकतम 25,000 रुपये (पच्चीस हजार रुपये मात्र) की राशि तक के भारत सरकार के करेंसी नोट और भारतीय रिज़र्व बैंक के नोट ले जा सकता है।

बी-23 फारफेटिंग

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को निर्यात प्राप्यों के वित्तपोषण के लिए फारफेटिंग प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है। अतः एक्जिम बैंक/संबंधित प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा यथा अनुमोदित निर्यातक द्वारा देय वचनबद्धता शुल्क/सेवा प्रभारों, आदि के विप्रेषण की अनुमति प्राधिकृत व्यापारी बैंक दे सकते हैं। इस प्रकार के विप्रेषण संबंधित प्राधिकारी द्वारा यथानुमोदित एक मुश्त राशि के रूप में अग्रिम स्वरूप अथवा मासिक अंतराल में किए जा सकते हैं।

बी-24 सड़क, रेल अथवा नदी परिवहन द्वारा पड़ोसी देशों को निर्यात

निर्यातक जब सड़क, रेल अथवा नदी परिवहन से पड़ोसी देशों को निर्यात करें, तब वे ईडीएफ/ एसडीएफ फार्मों की मूल प्रतियों को फाइल करने के लिए निम्नलिखित पद्धति अपनाएं:

- (i) नौकाएं/देशी यान/सड़क परिवहन से निर्यातों के मामले में निर्यातक अथवा उसके एजेंट को फार्म उस सीमा के सीमाशुल्क कार्यालय में, विदेशी क्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व, प्रस्तुत करना चाहिए जिससे गुजरकर जहाज अथवा वाहन विदेशी क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इस प्रयोजनार्थ निर्यातक फार्म को जहाज अथवा वाहन के प्रभारी व्यक्ति को देने अथवा सीमा पर अपने एजेंट को अग्रेषित करने की व्यवस्था करें जो इसे सीमाशुल्क कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।
- (ii) रेल से निर्यात के संबंध में, सीमाशुल्क औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कतिपय नामित रेल स्टेशनों पर सीमाशुल्क स्टाफ को तैनात किया गया है। इन स्टेशनों पर लादे गए माल के संबंध में वे ईडीएफ/एसडीएफ फार्म लेंगे ताकि सीमा पर और किसी औपचारिकता के बिना माल अन्य देश को सीधे पहुँच सके। नामित रेल स्टेशनों की सूची रेलवे से प्राप्त की जा सकती है। नामित स्टेशनों से इतर स्टेशनों पर लादे गए माल के संबंध में निर्यातक को सीमावर्ती कस्टम स्टेशन पर सीमाशुल्क अधिकारी को, जहाँ सीमाशुल्क औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं, ईडीएफ/एसडीएफ फार्मों को प्रस्तुत करने की व्यवस्था करनी होगी।

बी-25 म्याँमार के साथ सीमा व्यापार

यह भारत और म्याँमार के बीच सीमावर्ती व्यापार करार द्वारा नियंत्रित होता है। भारत-म्याँमार की सीमा के दोनों तरफ रहने वाले लोगों को स्थानीय रूप से उत्पादित कतिपय विशिष्ट पण्यों (संलग्नक 5) के विनिमय की अनुमति वस्तु-विनिमय व्यवस्था के तहत दी गई है। वे मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में भी व्यापार कर सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी बैंक 16 अक्तूबर 2000 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.17 में निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुसरण करें।

बी-26 राज्य ऋणों की अदायगी

पूर्ववर्ती यूएसएसआर द्वारा प्रदान किए गए राज्य ऋणों के भुगतान की जमानत पर माल और सेवाओं के

निर्यात भारतीय रिज़र्व बैंक के, समय-समय पर यथासंशोधित, वर्तमान दिशा-निर्देशों द्वारा नियंत्रित होते रहेंगे।

बी-27 रोमानिया के साथ जवाबी-व्यापार व्यवस्था

भारतीय रिज़र्व बैंक, रोमानिया के साथ निर्यातक के काउंटर ट्रेड प्रस्तावों, जिनमें संबंधित पक्षों के बीच स्वैच्छिक रूप से किए गए करार के अनुसार भारत में आयातों के मूल्य पर भारत से निर्यातों के मूल्य का समायोजन नियोजित हो, अन्य शर्तों के साथ-साथ, इस शर्त पर विचार करेगा कि भारतीय निर्यातक खाता खोलने की अनुमति के तहत खोले गए एस्करो खाते में जमा की तारीख से छः महीने के अंदर उन निधियों को भारत में रोमानिया से माल के आयात के लिए उपयोग करता है।

सी. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश

सी-1 विशिष्ट पहचान संख्या उद्धृत करना

- (i) सभी आवेदनों/रिज़र्व बैंक के साथ पत्राचार में ईडीएफ/एसडीएफ और सॉफ्टेक्स फार्मों में उपलब्ध विशिष्ट पहचान संख्या अवश्य उद्धृत करें।
- (ii) एसडीएफ फार्म में घोषणा के मामले में, बंदरगाह कूट संख्या तथा पोतलदान बिल संख्या उद्धृत की जाए।

सी-2 ईडीएफ/एसडीएफ/सॉफ्टेक्स कार्यप्रणाली

समय-समय पर यथासंशोधित, [3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.23/2000-आरबी](#) द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000 के विनियम 6 के अनुसार निर्यात घोषणा पत्रों का निपटान इस प्रकार किया जाए:

सी-3.1. ईडीएफ फार्म (पूर्ववर्ती जीआर और पीपी फार्म)

- (i) गैर-ईडीआई पोर्ट पर निर्यात किए जाने वाले माल के संबंध में घोषणा के लिए प्रयुक्त जीआर फार्म का स्थान ईडीएफ फार्म लेगा। ईडीआई पोर्ट के मार्फत माल के निर्यात से संबंधित प्रक्रिया यथावत रहेगी और अब तक की भांति एसडीएफ फार्म लागू होगा।
- (ii) निर्यातक ईडीएफ फार्म दो प्रतियों में भरें और दोनों प्रतियों को लदान बिलों के साथ लदान के बंदरगाह पर सीमाशुल्क अधिकारियों को प्रस्तुत करें।
- (iii) सीमाशुल्क अधिकारी तदनुरूप लदान बिल स्वीकृत करने के पश्चात दोनों प्रतियों पर सतत क्रम संख्या देंगे। सीमाशुल्क द्वारा दी गयी क्रमिक संख्या में दस अंक में पोत लदान के बंदरगाह की कूट संख्या, कैलेंडर वर्ष और 6 क्रमिक अंक शामिल होंगे।
- (iv) सीमाशुल्क प्राधिकारी निर्यातक द्वारा घोषित मूल्य को ईडीएफ फार्म की दोनों प्रतियों पर उद्दिष्ट स्थान पर प्रमाणित करेंगे और लगाए गए मूल्य भी दर्ज करेंगे।
- (v) वे फार्म की दूसरी प्रति निर्यातक को लौटा देगे और उसकी मूल प्रति रिज़र्व बैंक को भेजने के लिए अपने पास रखेंगे।
- (vi) निर्यातक जहाज से भेजे जाने वाले माल के साथ ईडीएफ फार्म की दूसरी प्रति सीमाशुल्क प्राधिकारी को दोबारा प्रस्तुत करें।
- (vii) माल की जांच करने और दूसरी प्रति पर पोतलदान के लिए पारित मात्रा को प्रमाणित करने के पश्चात् सीमाशुल्क प्राधिकारी उसे, निर्यात बिलों के संबंध में बातचीत करने अथवा वसूली हेतु प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक को प्रस्तुत करने के लिए, निर्यातक को लौटा देगा।
- (viii) निर्यात की तिथि से 21 दिनों के भीतर निर्यातक ईडीएफ फार्म में नामित

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक के पास संबंधित लदान दस्तावेजों के साथ दूसरी प्रति और बीजक की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि दाखिल करें।

- (ix) दस्तावेजों के संबंध में बातचीत करने/वसूली के लिए भेजने के पश्चात प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक लेनदेन की रिपोर्ट ईएनसी विवरण में उचित आर अनुपूरक विवरणी के कवर में रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें।
- (x) बीजक की प्रतिलिपि के साथ फार्म की दूसरी प्रति, आदि प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक अपने पास रखें, उन्हें रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत न करें।
- (xi) आस्थगित ऋण व्यवस्था अथवा ईक्विटी सहभागिता पर विदेशी संयुक्त उद्यमों अथवा रुपया ऋण व्यवस्था के अंतर्गत किए गए निर्यातों के मामले में रिज़र्व बैंक अनुमोदन की संदर्भ संख्या और तिथि और/अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित परिपत्र की संदर्भ संख्या और तिथि ईडीएफ फार्म में उचित जगह पर दर्ज करें।
- (xii) ईडीएफ फार्म की दूसरी प्रतिलिपि गुम हो जाने अथवा खो जाने पर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक, सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित ईडीएफ फार्म की दूसरी प्रति स्वीकार कर सकते हैं।

टिप्पणी: ईडीएफ फार्म नंबर अब भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध हैं।

(ईडीएफ/एसडीएफ फार्म नं. की प्रिंटिंग के लिए लिंक: अधिसूचना→फेमा→फॉर्म→फेमा फार्म)

(पूर्ववर्ती पीपी फार्म)

(xiii) डाक प्राधिकारी डाक द्वारा माल के निर्यात की अनुमति तब देंगे जब फार्म की मूल प्रति पर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक ने प्रतिहस्ताक्षर किया हो। अतः डाक द्वारा माल के निर्यात हेतु ईडीएफ फार्म निर्यातक प्राधिकृत प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक को प्रतिहस्ताक्षर के लिए पहले प्रस्तुत करें। प्रक्रिया इस प्रकार है:

(ए) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक यह सुनिश्चित करने के बाद कि पार्सल उसकी शाखा अथवा आयातक देश के संपर्ककर्ता बैंक को संबोधित किया जा रहा है फार्मों पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा और मूल प्रति निर्यातक को लौटाएगा, जिसे निर्यातक पार्सल के साथ डाकघर को प्रस्तुत करेगा।

(बी) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक, ईडीएफ फार्म की दूसरी प्रति अपने पास रखेंगे और निर्यातक उस प्राधिकृत व्यापारी बैंक को संबंधित दस्तावेज तथा बीजक की अतिरिक्त प्रति, बातचीत करने/वसूली हेतु, 21 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत करेंगे।

(सी) संबद्ध विदेशी(ओवरसीज़) शाखा अथवा संपर्ककर्ता को भुगतान अथवा संबंधित बिल की स्वीकृति पर परेषिती को पार्सल वितरित करने का अनुदेश दिया जाए।

(डी) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक, हालांकि, उन ईडीएफ फार्मों पर प्रतिहस्ताक्षर कर सकते हैं जो परेषिती को सीधे संबोधित करने वाले पार्सलों को कवर करते हैं, बशर्तः

(ई) निर्यात के पूरे मूल्य के लिए निर्यातक के पक्ष में एक अप्रतिसंहरणीय साख पत्र खोला गया है और संबंधित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 के जरिए सूचित किया गया है।

अथवा

पोत लदान का पूर्ण मूल्य निर्यातक से प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 के जरिए अग्रिम प्राप्त हुआ है।

अथवा

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक, निर्यातक की प्रतिष्ठा, कार्य निष्पादन रिकार्ड और निर्यात आगमों की वसूली के लिए की गई व्यवस्था के आधार पर इस बात से संतुष्ट है कि वह ऐसा कर सकता है।

(एफ) ऐसे मामलों में, अग्रिम भुगतान / साख-पत्र/ निर्यातक की प्रतिष्ठा, आदि के बारे में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक के प्रमाणीकरण के ब्योरे उचित अधिप्रमाणन के अधीन फार्म पर प्रस्तुत किए जाएं।

(जी) ईडीएफ फार्म पर परेषिती के नाम और पते में कोई परिवर्तन होने पर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक द्वारा हस्ताक्षर करते हुए अपनी मुहर लगाकर उसे प्रमाणित किया जाए।

सी.3.2. गहरे समुद्र में मछलियों/समुद्री जीवों को पकड़ने वाले जलयानों द्वारा किए गए शिकार/पकड़े गए समुद्री जीवों का समुद्र से ही (प्रेषण) लदान

- (i) चूंकि गहरे समुद्र में मछलियों/समुद्री जीवों को पकड़ने के लिए भू-सीमा से दूर लगातार नौ-चालन (सेलिंग) करना होता है और किए गए शिकार/पकड़े गए समुद्री जीवों का (प्रेषण) लदान काफी गहरे समुद्र में होता है जिससे विनियामक रिपोर्टिंग अपेक्षा अर्थात् 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.23/2000- आरबी के अनुसार निर्यात घोषणापत्र को प्रस्तुत करने में प्रक्रियात्मक बाधा आती है।
- (ii) कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार भारतीयों के स्वामित्व वाले जलयानों द्वारा किए गए शिकार/पकड़े गए समुद्री जीवों को गहरे समुद्र से ही (प्रेषित करने) लदान करने से संबंधित ईडीएफ/एसडीएफ घोषणा पत्र की प्रक्रिया भारत सरकार के परामर्श से तर्क संगत बनायी गई है और नीचे दी गई है। 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.23/2000- आरबी के विनियम 3 के अनुरूप निर्यातकों द्वारा इसका पालन किया जाए।
- (ए) निर्यातक सीमा शुल्क प्रमाणन के स्थान पर पोत के मास्टर द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ईडीएफ/एसडीएफ फार्म प्रस्तुत करेगा जिसमें पकड़े गए विविध शिकार/ जीवों की किस्म, मात्रा, निर्यात मूल्य, शिकार/पकड़े गए जीवों के प्रेषण/स्थानांतरण की तारीख आदि का उल्लेख हो।
- (बी) पोत पर लदान की तारीख के स्तंभ में उचित टिप्पणी के साथ शिकार/पकड़े गए जीवों के स्थानांतरण की तारीख का उल्लेख किया जाए।

- (सी) एसडीएफ फार्म में शिपिंग बिल नंबर तथा तारीख के स्थान पर लदान नंबर और लदान की तारीख का उल्लेख किया जाए।
- (डी) कैरियर पोत द्वारा जारी लदान बिल/ट्रांसशिपमेंट रसीद में ईडीएफ/एसडीएफ फार्म के नंबर को शामिल किया जाए।
- (ई) ईडीएफ/एसडीएफ फार्म किसी इंटरनेशनल कार्गो सर्वेयर द्वारा जारी प्रमाणपत्र द्वारा विधिवत समर्थित होना चाहिए।
- (एफ) निर्यात मूल्य की वसूली और उसे प्रत्यावर्तित करने की विनिर्दिष्ट अवधि शिकार/पकड़े गए जीवों के स्थानांतरण की तारीख जिसे पोत के मास्टर (लदान लेने वाले) द्वारा प्रमाणीकृत किया गया हो या इनवाइस की तारीख, में से जो भी पहले हो, से गिनी/मानी जाएगी।
- (जी) ईडीएफ/एसडीएफ फार्म, मूल और दूसरी प्रति दोनों, पर कृषि मंत्रालय द्वारा जलयान के परिचालन के लिए दिए गए अनुमति पत्र के नंबर तथा तारीख का उल्लेख होना चाहिए।
- (एच) निर्यातक ईडीएफ/एसडीएफ फार्म को दो प्रतियों में भरेगा और उन्हें जलयान के पंजीकरण पत्तन(पोर्ट) या कृषि मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किसी अन्य पत्तन के सीमाशुल्क कार्यालय को प्रस्तुत करेगा। सीमाशुल्क कार्यालय "सीमाशुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज" में आंकड़े दर्ज करने के लिए ईडीएफ/एसडीएफ फार्म (की मूल प्रति) अपने पास रखेगा।
- (आई) सीमाशुल्क कार्यालय ईडीएफ/एसडीएफ फार्म की दोनों प्रतियों पर क्रमिक क्रमांक (रनिंग सीरियल नंबर) देगा और उसकी दूसरी प्रति निर्यातक को लौटा देगा क्योंकि निर्यात के मूल्य का प्रमाणीकरण उल्लेखानुसार पहले ही हो जाता है।
- (जे) निर्यातक/कों द्वारा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक/कों को ईडीएफ/एसडीएफ फार्म प्रस्तुत करने से संबंधित प्रक्रिया के बाबत जारी नियमावली, विनियमावली और निर्देश तथा इन बैंकों द्वारा ऐसे फार्मों का निपटान उसी भांति होगा जैसाकि अन्य निर्यातकों के संबंध में लागू है।

सी-4 एसडीएफ

एसडीएफ के मामले में निम्नलिखित प्रणाली का पालन किया जाए :

- (i) एसडीएफ फार्म दो प्रतियों में (संबंधित लदान बिल के साथ संलग्न किए जाने वाले) संबंधित सीमाशुल्क आयुक्त को प्रस्तुत किया जाए।
- (ii) एसडीएफ फार्म में की गई घोषणा जांच और अधिप्रमाणन के बाद "विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रति" अंकित लदान पत्र की एक प्रति सीमाशुल्क आयुक्त निर्यातक के सुर्पुद करेंगे जिसमें निर्यात की तिथि से 21 दिन के अंदर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक को प्रस्तुत किया जानेवाला फार्म एसडीएफ संलग्न हो ।
- (iii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, निर्यातक द्वारा वसूली/पोत लदान दस्तावेजों के संबंध में बातचीत करने/वसूली के लिए प्रस्तुत लदान पत्र की विदेशी मुद्रा नियंत्रण (ईसी) प्रति और उसके साथ संलग्न फार्म एसडीएफ को स्वीकार करें।
- (iv) लदान पत्र की ईसी प्रति (और उसके संलग्न फार्म एसडीएफ) के निपटान का तरीका वही है

जो ईडीएफ/एसडीएफ फार्मों के लिए है। बीजक आदि की प्रति के साथ फार्म की दूसरी प्रति को प्राधिकृत व्यापारी अपने पास रखें और रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत न करें।

- (v) उन मामलों में, जहाँ ईसीजीसी तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआर डीए) द्वारा नियंत्रित प्रायवेट बीमा कंपनियां प्रारंभिक रूप में उसके साथ बीमाकृत निर्यातों के संबंध में निर्यातकों के दावों का निपटान करती है और बाद में क्रेता/क्रेता के देश से उनके द्वारा किए गए निर्यातों के ज़रिए निर्यात प्राप्तियों को प्राप्त करती हैं, वहाँ यथा प्राप्त राशि में निर्यातकों का हिस्सा, बैंक, जिसने पोत लदान दस्तावेजों पर कार्रवाई की है, के ज़रिए वितरित किया जाता है। ऐसे मामलों में ईसीजीसी तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा नियंत्रित प्रायवेट बीमा कंपनियां पूरे प्राप्तियों की प्राप्ति के बाद उस बैंक को, जिसने संबंधित पोत लदान दस्तावेजों पर कार्रवाई की है, एक प्रमाण पत्र जारी करेगा। प्रमाण पत्र घोषणा पत्र की संख्या, निर्यातक का नाम, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक का नाम, परक्रामण की तिथि, बिल संख्या, बीजक मूल्य और ईसीजीसी तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण(आईआरडीए) द्वारा नियंत्रित प्रायवेट कंपनियों द्वारा प्राप्त वास्तविक राशि दर्शाएगा।

सी-5 सॉफ्टवेक्स फार्म

(i) सॉफ्टवेयर निर्यातक, जिसका वार्षिक पण्यवर्त न्यूनतम रु.1000 करोड़ है अथवा जो वर्ष में 600 सॉफ्टवेक्स फॉर्म फाइल करता है, सॉफ्टवेक्स फॉर्मों के चार प्रतियों वाले सेट सहित सभी ब्योरे देते हुए संलग्नक 'ए' के अनुसार एक्सेल फॉर्मेट में एक विवरण निकटतम भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (STPI) को प्रस्तुत करने के लिए पात्र होगा। तदनंतर भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (STPI) ब्योरों का सत्यापन करेगा और दस्तावेजों की विस्तृत नमूना जाँच का प्रतिशत निर्धारित करेगा। सॉफ्टवेयर कंपनियों मांग किये जाने पर सभी दस्तावेज भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (STPI) की सूचना से 30 दिनों के भीतर अथवा निर्यातक के अनुरोध पर निदेशक के विवेकानुसार किसी यथोचित/बढ़ाये गये समय के भीतर उन्हें प्रस्तुत करेंगी। भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (STPI) विवरण और मूल्य, आदि से संबंधित सॉफ्टवेक्स फॉर्मों को थोक में टॉप शीट पर प्रमाणित करेंगे तथा तदनंतर संशोधित सॉफ्टवेक्स फॉर्मेट की पहली प्रति भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को, एक्सेल फॉर्मेट में थोक विवरण सहित दूसरी प्रति बेचान/वसूली/निपटान के लिए प्राधिकृत व्यापारियों को, तीसरी प्रति निर्यातक को और अंतिम प्रति भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (STPI) द्वारा उनके अपने रिकार्ड के लिए रोक रखी जाएगी। तथापि, संशोधित क्रियाविधि के तहत, निर्यातक 25000 अमरीकी डॉलर से कम के बीजकों सहित सभी बीजकों संबंधी जानकारी एक्सेल फॉर्मेट में थोक विवरण के रूप में प्रस्तुत करेंगे। [सॉफ्टवेक्स फॉर्म और अन्य संबंधित दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण की क्रियाविधि संलग्नक 4 में विस्तृत रूप से दी गयी है।]

यह प्रक्रिया 1.1.2013 से सभी एसटीपीआई और एसईजेड/ईपीजेड/100 ईओयू/ डीटीए में लागू है।

(ii) एकल के साथ-साथ बल्क(bulk) में साफ्टवेयर निर्यात के लिए सामान्य (common) "साफ्टवेक्स फार्म (संलग्नक 3) निरूपित किया गया है।

(iii) भारतीय रिज़र्व बैंक ने ईडीएफ फार्म नंबर और साफ्टवेक्स फार्म नंबर (आफसाइट निर्यात में एकल अथवा बल्क में प्रयोग के लिए) आनलाइन जनरेट करने की सुविधा प्रदान की है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा इन्हें एकल अथवा बल्क में मैनुअली आबंटित करने की सुविधा समाप्त कर दी गई है।

सी-6 यादृच्छिक (रैंडम) सत्यापन

उपर्युक्त सभी प्रक्रियाओं में उनके आंतरिक/समवर्ती लेखापरीक्षकों द्वारा संबंधित फार्मों की दूसरी प्रति का यादृच्छिक सत्यापन करके प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक, यह सुनिश्चित करें कि यदि वसूली न करने या कम वसूली की कोई अनुमति दी गई है तो क्या वह उन्हें प्रत्यायोजित अधिकारों की सीमा के अंदर है अथवा यथावश्यक रिज़र्व बैंक द्वारा विधिवत अनुमोदित है।

सी-7 ईईएफसी जमा का प्रमाणीकरण

जहां ईईएफसी खाते में निर्यात आगमों के एक हिस्से को जमा किया जाता है वहां निर्यात घोषणा (दूसरी प्रति) फार्म निम्नवत अभिप्रमाणित किया जाए:

"आगमों की राशि जो निर्यात वसूली का प्रतिशत दर्शाती है को के पास निर्यातक द्वारा रखे ईईएफसी खाते में जमा किया गया।"

सी-8 हवाई माल / समुद्री माल का समेकन

(i) हवाई माल का समेकन

(ए) जहाँ समेकन के अंतर्गत हवाई माल लादा गया है वहाँ हवाई कंपनी के मास्टर एअर-वे बिल समेकन माल एजेंट को जारी किया जायेगा। माल एजेंट अपना हाउस एअर-वे बिल(एचएडब्ल्यूबी) व्यक्तिगत माल प्रेषक को जारी करेगा।

(बी) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक, हाउस एअरवेज़ बिलों का परक्रामण तब करेंगे जब संबंधित साख पत्र एअरलाइन कंपनी द्वारा जारी एअरवेज़ बिलों के बदले इन दस्तावेजों को बेचान के लिए विशेष रूप से मुहैया कराता है।

(ii) समुद्री माल का समेकन

(ए) प्राधिकृत व्यापारी, साख पत्र द्वारा समर्थित निर्यात लेनदेनों के संबंध में, नौवहन दस्तावेजों के परक्रामण/वसूली के लिए लदान बिल के बदले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ (आईएटीए) के अनुमोदित एजेंटों द्वारा जारी अग्रेषणकर्ता की कार्गो रसीदों (एफसीआर) को स्वीकार कर सकते हैं, यदि संबंधित साख पत्र में विशेष रूप से इस दस्तावेज के परक्रामण हेतु लदान बिल के बदले में इसे स्वीकार करने का उपबंध हो, भले ही समुद्रपारीय खरीददार के साथ संबंधित बिक्री संविदा में नौवहन दस्तावेज के रूप में लदान बिल के बदले में अग्रेषणकर्ता की कार्गो रसीदों (एफसीआर) को स्वीकार करने का उपबंध न हो।

(बी) इसके अतिरिक्त, प्राधिकृत व्यापारी, अपने विवेकानुसार, निर्यात लेनदेनों के उन मामले में जहाँ वे साख पत्र द्वारा समर्थित न हों वहाँ भी नौवहन दस्तावेजों की खरीद/बट्टा/वसूली के लिए (लदान बिल के बदले) प्रख्यात नौवहन कंपनियों/अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ (आईएटीए) के अनुमोदित एजेंटों द्वारा जारी अग्रेषणकर्ता की कार्गो रसीदों (एफसीआर) को भी स्वीकार कर सकते हैं, बशर्ते समुद्रपारीय खरीददार के साथ उनकी 'संबंधित बिक्री संविदा' में लदान बिल के बदले नौवहन दस्तावेज के रूप में अग्रेषणकर्ता की कार्गो रसीदों (एफसीआर) को स्वीकार करने का उपबंध हो। तथापि, खरीद/बट्टे के लिए ऐसे अग्रेषणकर्ता की कार्गो रसीदों (एफसीआर) की स्वीकृति पर ऋण देने का निर्णय पूर्णतः संबंधित बैंक का होगा, जिसे अन्य बातों के तहत, लेनदेनों की वास्तविकता और समुद्रपारीय खरीददार तथा भारतीय आपूर्तिकर्ता के ट्रैक रिकार्ड के

बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए क्योंकि अग्रेषणकर्ता की कार्गो रसीदें (एफसीआर) परक्राम्य (Negotiable) दस्तावेज नहीं हैं। ऐसे मामलों में, निर्यातकों के लिए समुद्रपारीय खरीददार के बारे में यथोचित सावधानी सुनिश्चित करना औचित्यपूर्ण होगा।

सी-9 निर्यातकों द्वारा पोतलदान दस्तावेजों की प्रस्तुति में विलंब

उन मामलों में जहाँ निर्यातक निर्यात से संबंधित दस्तावेजों को निर्यात तिथि से 21 दिनों की निर्धारित अवधि के बाद प्रस्तुत करता है वहाँ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक, रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना कार्रवाई कर सकता है बशर्ते कि वह विलंब के लिए दिए गए कारणों से संतुष्ट हो।

सी-10 फार्मों की छानबीन हेतु जाँच सूची

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक, सुनिश्चित करें कि:

- (i) प्रस्तुत किये गये ईडीएफ/एसडीएफ फार्म की दूसरी प्रति पर वही संख्या दर्ज है जो मूल प्रति पर है और जिसे सामान्य रूप से लदान बिल/पोत लदान बिल पर दर्ज किया गया है और दूसरी प्रति को उपयुक्त सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा विधिवत सत्यापित और अभिप्रमाणित किया गया है।
- (ii) एसडीएफ फार्म में पोतलदान बिल संख्या वही होनी चाहिए जो लदान बिल पर दर्शायी गयी है।
- (iii) लागत बीमा भाड़ा, लागत और भाड़ा आदि संविदाओं के मामले में, जिनका भाड़ा गंतव्य स्थान पर अदा किया जाना है, कटौती ईडीएफ/एसडीएफ फार्म पर घोषित भाड़े की सीमा अथवा लदान पत्र/ हवाई बिल में दर्शायी गयी भाड़े की वास्तविक राशि, जो भी कम है, तक ही की जाती है।
- (iv) प्रस्तुत दस्तावेजों में निर्यातित माल के व्योरे, निर्यात मूल्य अथवा गंतव्य देश के संबंध में कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं पायी गयी हैं।
- (v) जहां निर्यातकों द्वारा क्रेता के खाते पर नौवहन बीमा लिया गया है, वहां यह सत्यापित करना चाहिए कि अदा की गई वास्तविक राशि बीजक और बिल के जरिए क्रेता से प्राप्त की जाती है।
- (vi) "पूर्वप्रदत्त भाड़ा" आधार पर जारी लदान पत्र/हवाई बिल को वहाँ स्वीकार करें जहाँ बिक्री संविदा जहाज़ तक निःशुल्क, पोत तक निःशुल्क आधार, आदि पर है बशर्ते भाड़े की राशि बीजक और बिल में शामिल की गयी है।
- (vii) उन मामलों में जहाँ दस्तावेजों का बेचान निर्यातक से इतर किसी व्यक्ति द्वारा किया जा

रहा है जिसने निर्यात से संबंधित प्रेषण के संबंध में ईडीएफ/एसडीएफ/सॉफ्टेक्स फार्म पर हस्ताक्षर किया हो तो प्राधिकृत व्यापारी दस्तावेजों का बेचान विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000 के विनियम 12 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के पश्चात करें।

(viii) सीमा शुल्क प्राधिकारियों को घोषित मूल्य में घट-बढ़, जो निर्यात दस्तावेजों में दिखते हैं वे संविदा की शर्तों की विभिन्नता से उत्पन्न होते हैं, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक, परिकलनों की अंकगणितीय विशुद्धता और विचाराधीन संविदाओं की शर्तों के अनुपालन के बाद दस्तावेजी साक्ष्य के प्रस्तुतीकरण पर उन्हें स्वीकार कर सकते हैं। कुछ ऐसे उदाहरण (जहां सीमा शुल्क प्राधिकारियों को घोषित मूल्य और दस्तावेजों में दिखाए गए मूल्य अलग हो सकते हैं) यहां नीचे दिए गए हैं:

ए) निर्यात वसूली योग्य मूल्य, जहाँ लागत बीमा भाड़ा अथवा लागत और भाड़ा संविदाओं में संविदा निष्पादित होने के बाद कोई भाड़ा अंशतः या पूर्णतः बढ़ जाता है, जैसे, कतिपय परिस्थितियों में ईडीएफ/एसडीएफ फार्म पर, सीमाशुल्क द्वारा मूलतः घोषित/स्वीकृति, से अधिक हो तो क्रेताओं द्वारा वहन करने के लिए सहमति हो अथवा जहाँ संविदा की करेंसी के तत्पश्चात अवमूल्यन के परिणामस्वरूप क्रेताओं की सहमति से मूल्य में बढ़ोत्तरी की गई हो।

बी) निर्यात व्यापार के कतिपय कार्यक्षेत्र में मूल्य का अंतिम निपटान पोत लदान के समय आहरित नमूनों की गुणवत्ता विश्लेषण के परिणाम पर निर्भर करता है परंतु ऐसे विश्लेषणों के नतीजे केवल पोत लदान करने के बाद ही उपलब्ध होते हैं। यदा कदा संविदाएं पण्य उपभोक्ता व्यापार प्रथा के अनुरूप माल का विलंब से पोत लदान हेतु जुर्माना के भुगतान के लिए मुहैया कराते हैं। इन मामलों में जहाँ निर्यातक संविदा मूल्य के आधार पर पूरे निर्यात मूल्य सीमाशुल्क को घोषित करते हैं, वसूली/ संग्रहण हेतु बीजकों को पोत लदान दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करते हैं, वहाँ नमूनों के विश्लेषण के नतीजे अथवा विलंब पोत लदान जुर्माना, जैसी भी स्थिति हो, को ध्यान में लेने के बाद अलग मूल्य दिखाई दे सकते हैं।

सी) समुद्री अथवा हवाई मार्ग से किए गए निर्यात के संबंध में बिल जो व्यापार छूट के कारण ईडीएफ/एसडीएफ पर घोषित मूल्य से कम होते हैं, बेचान अथवा संग्रहण के लिए केवल तब स्वीकार करें जब छूट को निर्यातक ने पोतलदान के समय संबंधित ईडीएफ/एसडीएफ फार्म पर घोषित किया है और सीमाशुल्क ने उसे स्वीकार किया है।

सी-11 निर्यातकों को दस्तावेज लौटाना

वसूली, संग्रहण हेतु प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंकों को एक बार प्रस्तुत किए गए ईडीएफ/एसडीएफ फार्मों की दूसरी प्रतियां और पोतलदान दस्तावेज, में हुई गलतियों में सुधार तथा पुनः प्रस्तुतीकरण की स्थिति को छोड़कर, सामान्यतः निर्यातकों को नहीं लौटाया जानी

चाहिए।

सी-12 पोतमास्टर/ कारोबार प्रतिनिधि को लदान बिल की परक्राम्य प्रति सौंपना

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक लदान पत्र की एक परक्रामण प्रति वाहक पोत के मास्टर अथवा कारोबार प्रतिनिधि को कतिपय बंदरगाह विहीन देशों को निर्यात के संबंध में सुपुर्द कर सकते हैं यदि लदान किसी अप्रतिसंहरणीय साख पत्र द्वारा रक्षित है और दस्तावेज साख पत्र की शर्तों, जो अन्य बातों के साथ साथ, ऐसे वितरण की शर्त लगाती है, के अनुरूप पक्का है।

सी-13 निर्यात बिल रजिस्टर

- (i) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक, भौतिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में निर्यात बिल रजिस्टर बनाए/रखें। ईडीएफ/एसडीएफ/साफ्टेक्स फार्म संख्या, भुगतान की देय तिथि और आर अनुपूरक विवरणी, जिसके साथ लेनदेनों को कवर करनेवाला ईएनसी विवरण रिज़र्व बैंक को भेजा गया था, के ब्योरे उपलब्ध होने चाहिए।
- (ii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक, यह सुनिश्चित करें कि सभी प्रकार के निर्यात लेनदेनों को निर्यात बिल रजिस्टर में दर्ज किया गया है और वित्तीय वर्ष आधार पर (अर्थात् अप्रैल से मार्च तक) बिल संख्याएं दी गई हैं।
- (iii) रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत ईएनसी विवरण और अन्य संबंधित विवरणियों में बिल संख्या दर्ज की जाए।

सी-14 अतिदेय बिलों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई

- (i) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक, बिलों की वसूली पर कड़ी निगरानी रखें और उन मामलों में, जहां बिल भुगतान के लिए देय तिथि से अधिक समय से बकाया हो, ऐसे मामले की ओर संबंधित निर्यातक का ध्यान तत्काल आकर्षित करें। यदि निर्यातक विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर आगमों की सुपुर्दगी नहीं कर पाता है अथवा उससे अधिक समय हेतु विस्तार मांगता है तो ऐसे मामले को रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को, जहां संभव हो वहाँ प्राप्यों की वसूली में हुए विलंब का कारण बताते हुए, रिपोर्ट करें।
- (ii) ईडीएफ/एसडीएफ/साफ्टेक्स फार्मों की अनुलिपि को प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक, अनाहरित शेषों के मामले को छोड़कर, तब तक अपने पास रखें जब तक कि पूरे प्राप्यों की वसूली न कर ली जाए।
- (iii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक, निर्यात बकाए के संबंध में निर्यातकों के साथ अनुवर्ती

कार्रवाई लगातार और प्रभावी रूप से करें ताकि चूककर्ता निर्यातकों के खिलाफ कार्रवाई में कोई विलंब न हो। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक द्वारा निर्यात आगमों की वसूली के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई में हुई ढिलाई को रिज़र्व बैंक गंभीरता से लेगा, ऐसे मामले में फेमा, 1999 के तहत जुर्माना हो सकता है।

- (iv) शाखा-वार प्रस्तुति की मौजूदा प्रणाली के बजाय 31 दिसंबर 2013 को समाप्त अर्ध वर्ष से अर्ध वार्षिक एक्सओएस विवरणी आनलाइन एवं बैंक-वार भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत की जाए।

सी-15 मीयादी बिलों के पूर्व भुगतान के कारण मूल्य में कटौती

कभी-कभी निर्यातक मीयादी बिलों के पूर्व भुगतान के लिए विदेशी क्रेताओं को नकद छूट देने के कारण बीजक मूल्य में कमी के लिए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक से संपर्क करते हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक, निर्यात संविदा में लगाई गई ब्याज दर पर अथवा जहाँ संविदा में ब्याज-दर निर्धारित नहीं की गयी है, बीजक मुद्रा की प्राइम दर/ लिबोर पर गणना करते हुए मीयादी बिलों की समाप्त न हुई अवधि पर आनुपातिक ब्याज की राशि की सीमा तक नकद छूट की अनुमति दे सकते हैं।

सी-16 अन्य मामलों में बीजक मूल्य में कमी

- (i) बिल बेचान (नेगोशियेट) किए जाने या संग्रहण के लिए भेजने के बाद यदि उसकी राशि किसी कारण से कम करना चाहते हैं तो प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक, यदि अनुरोध की प्रामाणिकता से संतुष्ट हैं तो उसके लिए अनुमति दे सकते हैं, बशर्ते:
- ए. यह कमी बीजक मूल्य के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं हो।
- बी. आधार मूल्य शर्तें, वस्तुओं के निर्यात पर लागू नहीं होती हैं।
- सी. निर्यातक रिज़र्व बैंक की निर्यातक-चेतावनी सूची में नहीं है, और
- डी. निर्यातक को आनुपातिक निर्यात प्रोत्साहन यदि उसने लिया हो, तो उसे अभ्यर्पित करने के लिए सूचित किया गया है।
- (ii) ऐसे निर्यातकों के मामले में, जो कि तीन वर्ष से अधिक अवधि से निर्यात व्यापार में हैं, किसी प्रतिशत सीमा के बिना उक्त शर्तों के साथ ही साथ उनका कार्यनिष्पादन संतोषजनक पाए जाने की स्थिति में अर्थात् निर्यात बकाया पिछले तीन कैलेंडर वर्ष के दौरान औसत वार्षिक निर्यात वसूली के 5 प्रतिशत से अधिक न होने पर बीजक मूल्य में कटौती की अनुमति दी जा सकती है।

- (iii) पिछले तीन कैलेंडर वर्ष के दौरान औसत निर्यात वसूलियों के लिए बकाया निर्यात बिलों के प्रतिशत की गणना करने के उद्देश्य से बाहरी समस्याओं का मुकाबला करने वाले देशों को किए गए निर्यातों के बकाए के बारे में ध्यान न दिया जाए बशर्ते क्रेताओं द्वारा भुगतान स्थानीय मुद्रा में किया गया हो।

सी-17 निर्यात दावे

- (i) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक, आवेदन पर निर्यात-दावों का विप्रेषण कर सकते हैं बशर्ते कि संबंधित निर्यात आगमों की पहले ही वसूली हो चुकी हो और उसे भारत को प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो और निर्यातक रिज़र्व बैंक की निर्यातक-चेतावनी सूची में नहीं हो।
- (ii) विप्रेषणों के ऐसे सभी मामलों में निर्यातक को यह सूचित किया जाना चाहिए कि आनुपातिक निर्यात प्रोत्साहन, यदि उसने प्राप्त किया हो तो, लौटा दे।

सी-18 क्रेता/परेषिती (कंसाइनी) में परिवर्तन

जहाँ, जहाज पर माल लादने के बाद उसे मूल क्रेता द्वारा चूक करने की स्थिति में मूल क्रेता के बजाय किसी अन्य क्रेता को अंतरित किया जाना है, ऐसे सभी मामलों में रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि मूल्य में कटौती, यदि कोई हो, तो वह 25 प्रतिशत से अधिक नहीं हो और निर्यात आगमों की वसूली में निर्यात की तिथि से 12 माह की अवधि से अधिक विलंब न हुआ हो।

सी -19 समय सीमा में विस्तार

- (i) भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -1 बैंकों को निर्यात की तिथि से 12 महीनों से ऊपर निर्यात प्राप्यों की वसूली की अवधि में एक समय 6 माह तक अवधि विस्तार देने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी है चाहे निर्यात के बीजक मूल्य कुछ भी हो:
- ए) बीजक द्वारा कवर किए गए निर्यात लेनदेन प्रवर्तन निदेशालय/ केंद्रीय जांच ब्यूरो अथवा अन्य जांच एजेंसियों की जाँच-पड़ताल के अधीन नहीं है।
- बी) प्राधिकृत व्यापारी बैंक स्वयं इस बात से संतुष्ट हो कि निर्यात प्राप्यों की वसूली निर्यातक के वश से बाहर है।
- सी) निर्यातक ने इस आशय का घोषणा-पत्र दिया है कि वह निर्यात प्राप्यों की वसूली विस्तारित अवधि में कर लेगा।
- डी) निर्यात की तारीख से एक वर्ष से अधिक की अवधि विस्तार पर तभी विचार किया जाएगा जब कि निर्यातक का कुल निर्यात बकाया एक मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा

पिछले तीन वित्तीय वर्ष के दौरान औसतन निर्यात वसूली के 10 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, से अधिक न हो।

- ई) निर्यात की तारीख से छः महीने से अधिक के बकाया सभी निर्यात बिलों को एक्सओएस (XOS) विवरण में रिपोर्ट किया जाए। फिर भी, जहां प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा समय-विस्तार प्रदान किया गया है, वहाँ जिस तारीख तक समय-विस्तार प्रदान किया गया है उसे "टिप्पणी" कॉलम में दर्शाया जाए।
- एफ) जहां निर्यातक ने आयातक के खिलाफ विदेश में मुकदमा दायर किया हो तो प्राप्य राशि/बकाया राशि पर ध्यान दिये बिना समय-विस्तार प्रदान किया जाए।
- (ii) उन मामलों में जहां पर कोई निर्यातक अपने प्रयासों के बावजूद, कुछ ऐसे कारणों से जो कि उसके वश के बाहर हों, शिपमेंट प्राप्यों की वसूली निर्धारित समय-सीमा के भीतर नहीं कर पाता है, लेकिन यह चाहता है कि यदि वसूली की अवधि बढ़ा दी जाए तो वह वसूली कर सकता है और इसके साथ ही साथ जो मामले पैरा (i) के दायरे में नहीं आते हैं, फॉर्म ईटीएक्स में उपयुक्त दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ अपने प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को आवश्यक आवेदनपत्र (दो प्रतियों में) प्रस्तुत करें।

सी-20 निर्यात बिलों को बट्टे खाते डालना

- (i) अपने अत्यधिक प्रयासों के बावजूद, बकाया निर्यात देयों की वसूली न कर पाने वाले निर्यातक, स्वयं अथवा उन प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंकों से, जिन्होंने संबंधित पोत लदान दस्तावेजों पर कार्रवाई की, वसूल न किए गए अंश को बट्टे खाते डालने का अनुरोध करते हुए उपयुक्त दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ संपर्क करें, बशर्ते 22 जुलाई 2010 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 3 में बट्टे खाते में डालने से पूर्व प्रोत्साहन लौटाने संबंधी विनिर्देशन की अपेक्षा को पूरा कर लिया हो। इस प्रक्रिया को उदार एवं सरल बनाने के बाद से निर्यात बिलों की वसूल न सकी राशि को बट्टेखाते डालने के लिए निम्नलिखित सीमाएं निर्धारित की गई हैं:

निर्यातक द्वारा स्वयं बट्टेखाते में डालना 5%*
(स्टेटस होल्डर एक्सपोर्टर से भिन्न)

स्टेटस होल्डर एक्सपोर्टर द्वारा स्वयं बट्टेखाते में डालना 10%*

प्राधिकृत व्यापारी द्वारा बट्टेखाते में डालना 10%*

*पिछले कलेंडर वर्ष के दौरान वसूल हुई कुल निर्यात आगम राशि के।

- (ii) उल्लिखित सीमाएं पिछले कैलेण्डर वर्ष के दौरान वसूल की गयी कुल निर्यात राशियों से संबद्ध होंगी और वर्ष में संचयी रूप से उपलब्ध होंगी।
- (iii) उपर्युक्त बट्टे खाते में डालना इस शर्त के अधीन होगा कि संबंधित राशि एक वर्ष से अधिक समय से बकाया रही है, प्राप्त होने वाली राशियों को वसूल करने के लिए सभी प्रयास करने के बावत संतोषजनक दस्तावेजी सबूत हैं/प्रस्तुत किए गए हैं और मामला निम्नलिखित में से किसी वर्ग में आता है:
- (ए) विदेशी क्रेता को दिवालिया घोषित किया गया है और शासकीय परिसमापन प्राधिकरण से इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है कि निर्यात प्राप्तियों की वसूली की कोई संभावना नहीं है।
- (बी) विदेशी क्रेता का काफी समय से पता नहीं लग पा रहा है।
- (सी) आयातित देश में बंदरगाह/ सीमाशुल्क/ स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा निर्यातित माल नीलाम अथवा नष्ट कर दिया गया है।
- (डी) वसूल न हुई राशि का भारतीय दूतावास, वाणिज्यिक विदेशी चैम्बर अथवा उसी प्रकार के संगठन के हस्तक्षेप के जरिए यदि निपटान किया गया हो तो वह शेष प्राप्य को दर्शाती है।
- (ई) वसूल न हुई राशि बकाया और निर्यातक द्वारा सभी प्रयास किए जाने के बावजूद निर्यात बिल के (बीजक मूल्य का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं) आहरित न हुए शेष को दर्शाती है और निर्यातक द्वारा सभी प्रयासों के बावजूद वह राशि वसूली नहीं जा सकी है।
- (एफ) विधिक कार्रवाई चालू करने की लागत, निर्यात बिल की वसूल न हुई राशि से संगत नहीं होगी अथवा जहाँ निर्यातक विदेशी क्रेता के विरुद्ध न्यायिक मामला जीतने के बाद भी अपने नियंत्रण से परे कारणों से कोर्ट डिक्री निष्पादित नहीं कर सका।
- (जी) साख पत्र मूल्य और वास्तविक निर्यात मूल्य के अंतर अथवा भाड़ा प्रभारों के अनंतिम और वास्तविक के बीच अंतर हेतु बिलों के आहरण किए गए थे किंतु विदेशी क्रेता से बिलों के अनादर के परिणामस्वरूप राशि वसूल नहीं हो पाई और वहाँ वसूली के कोई आसार नहीं हैं।
- (iv) निर्यातक ने संबंधित पोत लदानों के संबंध में लिए गए निर्यात प्रोत्साहनों, यदि कोई हों, के आनुपातिक अंश (22 जुलाई 2010 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 3 द्वारा कवर न होने वाले मामलों के लिए) को लौटा/ सुर्पुद कर दिया है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, संबंधित बिलों को बट्टे खाते में डालने की अनुमति देने से पहले, लिए गए निर्यात प्रोत्साहनों की सुपुर्दगी के दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करें।

- (v) स्वयं द्वारा बट्टे खाते में डालने के मामले में, निर्यातक सनदी लेखाकार का इस आशय का एक प्रमाणपत्र संबंधित प्राधिकृत व्यापारी बैंक को प्रस्तुत करे जिसमें पिछले कैलेण्डर वर्ष में वसूल हुई निर्यात राशि और इस वर्ष के दौरान पहले ही बट्टे खाते में डाली गयी राशि, यदि कोई हो, संबंधित ईडीएफ/एसडीएफ नंबर, जिन्हें बट्टे खाते में डालना है, बिल नं., इनवाइस का मूल्य, निर्यातित पण्य, निर्यातित देश के नाम का उल्लेख हो। सनदी लेखाकार के प्रमाणपत्र में यह भी दर्शाया जाए कि यदि कोई निर्यात लाभ निर्यातक द्वारा लिए गए हैं तो उन्हें सुर्पुद किया गया है।
- (vi) तथापि, "बट्टे खाते में डालने" की सुविधा हेतु निम्नलिखित पात्र नहीं है:
- (ए) ऐसे बाह्य समस्याओं वाले देशों को किए गए निर्यात अर्थात विदेशी क्रेता ने जहाँ स्थानीय मुद्रा में निर्यात के मूल्य को जमा किया है किन्तु उक्त राशि के प्रत्यावर्तन की अनुमति देश के केंद्रीय बैंकिंग प्राधिकारियों ने नहीं दी है।
- (बी) ईडीएफ/एसडीएफ फार्म, जो प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व गुप्तचर निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, आदि जैसी एजेंसियों द्वारा अन्वेषण के अधीन है, के साथ ही साथ वे बकाया बिल भी जो सिविल/आपराधिक मुकदमे (suit) के अधीन हैं।
- (vii) संबंधित प्राधिकृत व्यापारी बैंक इस परिपत्र के तहत अनुमत बट्टे खाते में डाले गए मामलों के ब्योरे देते हुए ईबीड्ल्यू फार्म में (संलग्न फार्मेट में) एक विवरण रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करें, जिसके क्षेत्राधिकार में वे कार्यरत हैं।
- (viii) प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे एक ऐसी प्रणाली अमल में लाएं जिसके तहत उनके आंतरिक निरीक्षक अथवा लेखापरीक्षक (प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा नियुक्त किए गए बाह्य लेखापरीक्षकों सहित) बकाया निर्यात बिलों को बट्टे खाते में डालने के लिए यादृच्छिक नमूना जाँच/प्रतिशत में जाँच (random sample check/percentage check) करें।
- (ix) उल्लिखित अनुदेशों द्वारा कवर न किए गए/उल्लिखित सीमाओं से ऊपर की सीमा वाले मामले भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किए जाएं।

सी -21 ईसीजीसी और बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित निजी बीमा कंपनियों द्वारा दावों के भुगतान के मामले बट्टे खाते डालना

- (i) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, ईसीजीसी तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा नियंत्रित कंपनियों से दस्तावेज़ी साक्ष्य, जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि बकाया बिलों से संबंधित दावों का निपटान किया जा चुका है, आवेदन प्राप्त होने पर निर्यातक से संबंधित निर्यात बिलों को बट्टे खाते में डाल दें और एक्सओएक्स विवरण से उसे हटा दें।
- (ii) ऐसे बट्टे खाते डाले गये मामलों में ऊपर दर्शायी गयी 10 प्रतिशत तक की सीमा लागू नहीं होगी।

- (iii) प्रोत्साहनों के अभ्यर्षण, यदि कोई हों, ऐसे मामले में विदेश व्यापार नीति में दिए गए अनुसार किये जाएंगे।
- (iv) ईसीजीसी और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा नियंत्रित प्रायवेट बीमा कंपनियों द्वारा रुपए में निपटाए गए दावे विदेशी मुद्रा में निर्यात वसूली नहीं समझे जाएंगे।

सी-22 बट्टे खाते डालना- छूट

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2009-14 में घोषित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के तहत, 27 अगस्त 2009 से लागू, किसी निर्यात संवर्धन योजना के अंतर्गत निर्यात आगम राशि की वसूली हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन जोर न दिया जाए:-

ए) गुणवत्ता के आधार पर बट्टे खाते में डालना, प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुसार रिज़र्व बैंक द्वारा अथवा रिज़र्व बैंक की ओर से प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -1 बैंकों द्वारा स्वीकृत किया जाता है;

बी) निर्यातक, क्रेता से निर्यात आगम राशि की वसूली न किये जाने के तथ्य के संबंध में भारत के संबंधित विदेश मिशन से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है; और

सी) यह स्वयं बट्टे खाते डालने के मामले में लागू नहीं होगा।

(डी) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -1 बैंकों को सूचित किया जाता है कि विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2009-2014 के तहत किसी निर्यात संवर्धन योजना के अंतर्गत निर्यातक द्वारा शुल्क वापसी योजना के तहत यदि कोई निर्यात लाभ लिया गया हो, से भिन्न समानुपातिक निर्यात प्रोत्साहनों के अभ्यर्षण पर बल न दिया जाए बशर्ते उपर्युक्त शर्तें पूर्ण की जाती हैं। शुल्क वापसी राशि वसूल करनी होगी भले ही दावे का निपटान भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) द्वारा किया गया हो अथवा बट्टे खाते में डालना रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत किया गया हो।

मार्गस्थ पोत लदान का खो जाना

सी -23

(i) उन मामलों में जहाँ भारत से रवाना हुए शिपमेंट जिनका भुगतान न तो साखपत्र के तहत बातचीत से बिलों का निस्तारण किया गया हो अथवा अन्य किसी प्रकार से मार्ग में ही कहीं गायब हो गया हो, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक हर हालत में यह सुनिश्चित करें कि इस प्रकार नुकसान का पता लगते ही बीमे का दावा दायर कर दिया जाए।

(ii) उन मामलों में जहाँ, मार्गस्थ गुमशुदा शिपमेंट के दावों, जिनका दावा विदेश में देय है, प्राधिकृत व्यापारी बैंक अपनी विदेशी शाखा/ अपने संपर्ककर्ता के माध्यम से गुमशुदा शिपमेंट पर मिलने वाले दावे की पूर्ण राशि की वसूली के बाद ही ईडीएफ/एसडीएफ फार्म की प्रतिलिपि भेजें।

(iii) दावे की राशि प्राप्त हो जाने का प्रमाणन दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर दे दिया जाए।

(iv) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक यह सुनिश्चित करें कि मार्गस्थ गुमशुदा शिपमेंट के दावे जिनका कि विदेश में वाहक देयता के अधीन आंशिक रूप से निपटान सीधे नौवहन कंपनियों/एयरलाइंस द्वारा किया जाता है, की राशियों को भी निर्यातक द्वारा भारत में प्रत्यावर्तित किया जाता है।

सी-24 (ए)निर्यात प्राप्तियों का आयात भुगतान के साथ समायोजन (नेटिंग ऑफ) - विशेष आर्थिक क्षेत्रों की इकाइयाँ

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयों की निर्यात प्राप्तियों का आयात भुगतानों के साथ समायोजन की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दे सकते हैं:

- (i) आयात भुगतानों के बदले निर्यात प्राप्तियों के समायोजन उसी भारतीय कंपनी और समुद्रपारीय क्रेता/आपूर्तिकर्ता (द्विपक्षीय समायोजन) के लिए हो और समायोजन विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों के तुलनपत्र की तारीख को किया जाए।
- (ii) निर्यात किए गए माल का विवरण ईडीएफ/एसडीएफ फार्मों / डीटीआर में, जैसा भी मामला हो, दिया जाए जबकि आयात किए गए माल / सेवाओं को फार्म ए1/ए2, जैसा भी मामला हो, में दर्ज किया जाए। संबंधित ईडीएफ/एसडीएफ फार्मों को नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों द्वारा पूर्ण किया गया तभी माना जाएगा जबकि संपूर्ण आय का समायोजन किया गया हो/संपूर्ण आय प्राप्त हो गई हो।
- (iii) बिक्री और खरीद दोनों प्रकार के लेनदेन को एफईटी-ईआरएस के अंतर्गत आर-विवरणी में अलग-अलग रिपोर्ट किया जाए।
- (iv) एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) देशों के साथ किए गए निर्यात/आयात लेनदेनों को इस व्यवस्था में शामिल नहीं किया गया है।
- (v) सभी संगत दस्तावेज संबंधित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को प्रस्तुत किए जाएं जोकि लेनदेनों से संबंधित सभी विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे।

सी-25 (बी) निर्यात से प्राप्य राशियों को आयात के भुगतानों से घटाना: (17 नवंबर 2011 से लागू)

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक, निर्यात से प्राप्य राशियों को आयात के भुगतानों से घटाने का कार्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन कर सकते हैं:

- (i) आयात लागू विदेशी व्यापार नीति के अनुसार हो ।
- (ii) घरेलू उपयोग के लिए आयातक द्वारा किए गए आयात की इनवाइसें/ लदान बिल/हवाई बिल और पत्तन प्रवेश बिल संबंधी विदेशी मुद्रा नियंत्रण की प्रतियां

प्राधिकृत व्यापारी बैंक को प्रस्तुत की गयी हों।

(iii) आयातक की बहियों में आयात के भुगतान अब भी बकाया हों।

(iv) बिक्री तथा खरीद संबंधी लेनदेन दोनों को ही अलग-अलग 'आर' रिटर्न में रिपोर्ट किया गया हो।

(v) संबंधित ईडीएफ/एसडीएफ फार्म प्राधिकृत व्यापारी तभी देंगे जब संपूर्ण निर्यात आय/आमद समायोजित/प्राप्त हो जाए।

(vi) निर्यात से प्राप्त राशियों को आयात के लिए देय भुगतान से घटाने की अनुमति एक ही ओवरसीज खरीददार एवं आपूर्तिकर्ता के लिए उसकी सहमति प्राप्त करने के बाद दी जाएगी।

(vii) एशियन क्लियरिंग यूनियन के सदस्य देशों के साथ हुए निर्यात/आयात लेनदेन इस प्रबंध (व्यवस्था) से बाहर रहेंगे।

(viii) सभी संबंधित दस्तावेज संबंधित प्राधिकृत व्यापारी बैंक को प्रस्तुत किये जाएंगे जो लेनदेन के संबंध में सभी विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

सी -26 निर्यातों पर एजेंसी कमीशन

(i) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक निर्यातक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर कमीशन के भुगतान की अनुमति विप्रेषण या बीजक मूल्य से कटौती के जरिए दे सकते हैं। एजेंसी कमीशन पर विप्रेषण की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाए:

(ए) कमीशन की राशि ईडीएफ/एसडीएफ सॉफ्टवेक्स फार्मों पर घोषित की गई हो और सीमा शुल्क प्राधिकारी या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार/ ईपीजेड प्राधिकारियों, जैसा भी मामला हो, द्वारा स्वीकृत किया गया हो। जिन मामलों में कमीशन ईडीएफ/एसडीएफ/सॉफ्टवेक्स फार्मों पर घोषित नहीं किया गया हो, उन मामलों में उसके विप्रेषण की अनुमति निर्यात घोषणा फार्म पर कमीशन की घोषणा न करने के संबंध में निर्यातक द्वारा दिए गए कारणों के बारे में संतुष्ट होने पर दे सकते हैं, बशर्ते कमीशन के भुगतान हेतु निर्यातक और/ अथवा हिताधिकारी के बीच वैध करार/लिखित समझौता हुआ हो।

(बी) संबंधित पोतलदान किया जा चुका है।

(ii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक भारतीय निर्यातकों द्वारा अमरीकी डॉलर में नामित एस्करो खातों के जरिए काउंटर ट्रेड व्यवस्था के तहत कवर किए गए उनके निर्यातों के संबंध में कमीशन के भुगतान हेतु अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दे सकते हैं:

(ए) कमीशन का भुगतान उक्त पैरा (i) (ए) और (बी) में निर्धारित शर्तें पूरी करता हो।

कमीशन स्वयं एस्करो खाता धारकों के लिए देय नहीं है।

(बी)

(सी) कमीशन को बीजक मूल्य से घटाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

(iii) भारतीय साझेदारों द्वारा विदेशी संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों के साथ ही साथ रुपया ऋण मार्ग, इसमें चाय और तंबाकू के निर्यात के बीजक मूल्य के 10 प्रतिशत तक के कमीशन शामिल नहीं है, के तहत निर्यात में भी ईक्रीटी सहभागिता के रूप में किए गए निर्यातों पर कमीशन का भुगतान निषिद्ध है।

सी -27 निर्यात प्राप्तियों की धन वापसी

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक जिनके जरिए आगम मूल रूप में प्राप्त हुए थे, भारत से निर्यात किए गए किंतु खराब गुणवत्ता के कारण भारत में पुनः आयातित माल के निर्यात प्राप्तियों की धन वापसी के अनुरोध पर विचार करें। ऐसे लेनदेनों की अनुमति देते समय, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों से अपेक्षित है कि वे सुनिश्चित करें कि:

- (i) निर्यातक के पिछले कार्य निष्पादन रिपोर्ट के संबंध में पर्याप्त सावधानी बरती जाए;
- (ii) लेनदेनों की विश्वसनीयता का सत्यापन किया जाए;
- (iii) डीजीएफटी/सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा जारी इस आशय का प्रमाणपत्र निर्यातक से प्राप्त करें कि संबंधित आयात पर निर्यातक ने कोई प्रोत्साहन प्राप्त नहीं किया है अथवा संबंधित निर्यात के लिए लिए गए आनुपातिक प्रोत्साहन, यदि कोई हो, को लौटा दिया गया है;
- (iv) निर्यातक से इस आशय का वचन पत्र लें कि प्रेषण की तारीख से तीन महीनों के अंदर माल का वापस आयात किया जाएगा; और
- (v) सामान्य आयातों पर यथा लागू सभी प्रक्रियाओं का पालन किया जाए।

सी-28 निर्यातकों संबंधी सतर्कता सूची

- (i) जब कभी निर्यातकों को "निर्यात विनियमावली " (संलग्नक 2) के विनियम 17 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार चेतावनी दी जाएगी, उसकी सूचना प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को भी दी जाएगी। यदि सतर्कता-सूची में सूचीबद्ध निर्यातक के प्रस्तावित निर्यातों के पूरे मूल्य को कवर करते हुए अग्रिम भुगतान या अविकल्पी साखपत्र उनके पक्ष में पाने का साक्ष्य प्रस्तुत करता है, तो प्राधिकृत व्यापारी बैंक निर्यातक का ईडीएफ/एसडीएफ फार्म अनुमोदित करें।

- (ii) ऐसे अनुमोदन पोतलदान के लिए मीयादी बिल के आहरण के मामले में भी दिए जा सकते हैं बशर्ते संबंधित साखपत्र संपूर्ण निर्यात मूल्य को कवर करता हो, साथ ही ऐसे बिल की आहरण की अनुमति देता हो और मीयादी बिल की परिपक्वता अवधि पोतलदान की तारीख से बारह महीने के अंदर हो।
- (iii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को सतर्कता-सूची में सूचीबद्ध निर्यातकों को गारंटी जारी करने हेतु रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000

3 मई 2000 की अधिसूचना सं.जीएसआर 381 (ई)(समय-समय पर यथासंशोधित)* : विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 5 और धारा 46 की उप-धारा (1) तथा उप-धारा (2) के खण्ड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से लोकहित में इसे आवश्यक समझते हुए केंद्र सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

- (1) इन नियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000 कहा जाएगा।
- (2) ये 1 जून 2000 से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं:- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

- ए) "अधिनियम" से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) अभिप्रेत है ;
- बी) "आहरण" से किसी प्राधिकृत व्यक्ति से विदेशी मुद्रा का आहरण अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत साख पत्र लेना या अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड या अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड या किसी अन्य वस्तु, चाहे उसका कोई भी नाम हो और जिससे विदेशी मुद्रा दायित्व उत्पन्न होता है, का प्रयोग भी शामिल है;
- सी) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
- डी) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में है।

3. विदेशी मुद्रा आहरण पर प्रतिबंध:- किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा आहरण निषिद्ध है, अर्थात्

- ए) अनुसूची I में विनिर्दिष्ट कोई लेनदेन; या
- बी) नेपाल और / या भूटान की यात्रा; या
- सी) नेपाल या भूटान के निवासी व्यक्ति के साथ कोई लेनदेन;

परंतु खंड (सी) के निषेध से भारतीय रिज़र्व बैंक, ऐसे निबंधन और शर्तों के अधीन, जिन्हें अनुबद्ध करना वह आवश्यक समझे, विशेष या साधारण आदेश द्वारा छूट दे सकता है।

4. भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन:- कोई व्यक्ति भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुसूची II में सम्मिलित किसी लेनदेन के लिए विदेशी मुद्रा आहरित नहीं करेगा;

परंतु यह नियम वहां लागू नहीं होगा, जहां भुगतान प्रेषक के रेज़िडेंट फॉरेन करेंसी (आरएफसी) खाते में धारित निधि से किया जाता है।

5. रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन

कोई भी व्यक्ति रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुसूची III में सम्मिलित किसी लेनदेन के लिए विदेशी मुद्रा आहरित नहीं करेगा;

परंतु यह नियम वहां लागू नहीं होगा, जहां भुगतान प्रेषक के रेज़िडेंट फॉरेन करेंसी (आरएफसी) खाते में धारित निधि से किया जाता है।

6. (1) नियम 4 या 5 की कोई बात, प्रेषक के एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी (ईईएफसी) खाते में धारित निधियों में से आहरण पर लागू नहीं होगी।

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, नियम 4 या नियम 5 के अधीन लगाए गए प्रतिबंध वहाँ लागू होंगे, जहाँ एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी (ईईएफसी) खाते से आहरण अनुसूची II की मद 10 और 11 या अनुसूची III की मद 3,4,11,16 और 17 में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए है।

7. भारत से बाहर रहते समय अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग

नियम 5 में दिए गए अनुदेश किसी व्यक्ति के भारत से बाहर के दौरे पर रहते समय खर्चों को पूरा करने के लिए उस व्यक्ति द्वारा भुगतान हेतु अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर लागू नहीं होगा।

अनुसूची I

लेनदेन जो निषिद्ध हैं (नियम 3 देखिए)

1. लाटरी की जीत में से प्रेषण।
2. घुड़दौड़ / घुड़सवारी आदि या किसी अन्य अभिरुचि से हुई आय से प्रेषण।
3. लाटरी टिकट, निषिद्ध/ अभिनिषिद्ध पत्रिका खरीदने, फुटबाल पूल दांव लगाने, आदि के लिए प्रेषण।
4. भारतीय कंपनियों की विदेशों में संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में ईक्विटी निवेश के लिए किए गए निर्यात पर कमीशन का भुगतान।
5. किसी कंपनी द्वारा लाभांश, जिसके लिए लाभांश समायोजन (balancing) की अपेक्षा भी लागू है, से प्रेषण।
6. चाय और तंबाकू के निर्यात के बीजक मूल्य के 10% तक कमीशन को छोड़कर रुपया स्टेट क्रेडिट रूट के अधीन निर्यात पर कमीशन का भुगतान।
7. दूरभाष के "काल बैंक सर्विसेज़" से संबंधित भुगतान।
8. अनिवासी विशेष रुपया (खाते)(एनआरएसआर) योजना में रखी निधियों पर ब्याज की आय से प्रेषण।

अनुसूची - II
केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन की अपेक्षा रखलेवाले लेनदेन
(नियम 4 देखिए)

प्रेषण का प्रयोजन	भारत सरकार का मंत्रालय/विभाग जिसका अनुमोदन अपेक्षित है
1. सांस्कृतिक यात्राएं	मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा और संस्कृति विभाग)
2. किसी राज्य सरकार या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा पर्यटन, विदेशी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय बोली (10,000 अमरीकी डॉलर से अधिक) से भिन्न प्रयोजन के लिए विदेशी प्रिंट मीडिया में विज्ञापन	वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग
3. सरकारी क्षेत्र के उपक्रम द्वारा भाड़े पर लिए गए जलयान के माल भाड़े का प्रेषण	भूतल परिवहन मंत्रालय (माल भाड़ा स्कंध)
4. सीआइएफ पर आधारित (जैसे एफओबी और एफएएस पर आधारित को छोड़कर) सरकारी विभाग या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम द्वारा समुद्री (ओशन) मार्ग से किए गए आयात का भुगतान	भूतल परिवहन मंत्रालय (माल भाड़ा स्कंध)
5. विदेश स्थित अपने अभिकर्ताओं को प्रेषण करने वाले बहुविध परिवहन संचालक	पोत परिवहन महानिदेशक से पंजीकरण प्रमाण पत्र
6. निम्नलिखित द्वारा भाड़े पर लिए गए ट्रांस्पांडर के लिए प्रेषण (ए) टीवी चैनल (बी) इंटरनेट सेवा प्रदाता	सूचना और प्रसारण मंत्रालय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
7. कंटेनर रोक रखने के संबंध में पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा निर्धारित निरोध प्रभार से अधिक दर पर प्रेषण	भूतल परिवहन मंत्रालय (पोत परिवहन महानिदेशक)
8. तकनीकी सहयोग करार के तहत रायल्टी के बाबत विप्रेषण जहां वह स्थानीय बिक्री पर 5% एवं निर्यात पर 8% और एकमुश्त भुगतान 2 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक हो	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
9. यदि रकम 1,00,000 अमरीकी डॉलर से अधिक है, तब अंतर्राष्ट्रीय/ राष्ट्रीय/ राज्य स्तर के खेल निकायों को छोड़कर, किसी व्यक्ति द्वारा विदेश में खेल के क्रियाकलापों के लिए पुरस्कार राशि/ प्रायोजन के लिए प्रेषण।	मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग)
10. हटा दिया गया।	-
11. पी ऐण्ड आई क्लब की सदस्यता के लिए प्रेषण।	वित्त मंत्रालय (बीमा प्रभाग)

अनुसूची III
(नियम 5 देखिए)

1. हटा दिया गया।
 2. किसी देश (नेपाल और भूटान को छोड़कर) की एक या अधिक निजी यात्रा/ओं के लिए एक वित्तीय वर्ष में 10,000 अमरीकी डॉलर या उसके समतुल्य से अधिक मुद्रा जारी करना।
 3. @ प्रति विप्रेषक/दाता द्वारा प्रति वर्ष उपहारों हेतु 5000 अमरीकी डॉलर से अधिक के विप्रेषण।
 4. # प्रति विप्रेषक/दाता द्वारा प्रति वर्ष 5000 अमरीकी डॉलर से अधिक के दान (विप्रेषण)।
 5. रोज़गार के लिए विदेश जाने वाले व्यक्तियों के लिए 100,000 अमरीकी डॉलर से अधिक की विदेशी मुद्रा सुविधाएं।
 6. उत्प्रवास(emigration) के लिए 100,000 अमरीकी डॉलर या उत्प्रवास देश द्वारा निर्धारित रकम से अधिक मुद्रा सुविधाएं।
 7. विदेश में निकट संबंधियों/रिश्तेदारों के निर्वाह खर्च के लिए विप्रेषण,
 - i. किसी व्यक्ति, जो निवासी है किंतु भारत में स्थायी तौर पर निवासी नहीं है, के निवल वेतन (कर, भविष्य निधि अंशदान तथा अन्य कटौतियों के बाद) से अधिक के विप्रेषण तथा
-
(ए) जो पाकिस्तान से भिन्न विदेशी देश का नागरिक है; अथवा
(बी) भारत का नागरिक है जो विदेशी कंपनी के भारत स्थित कार्यालय अथवा शाखा अथवा सहायक कंपनी अथवा संयुक्त उद्यम में प्रतिनियुक्ति पर है।
 - ii. सभी अन्य मामलों में प्रति प्राप्तिकर्ता 100,000 अमरीकी डॉलर प्रति वर्ष से अधिक।
- स्पष्टीकरण :** इस मद के प्रयोजन के लिए, किसी विनिर्दिष्ट अवधि हेतु अपने नियोजन के प्रयोजन (उसकी अवधि पर ध्यान दिए बगैर) या किसी विनिर्दिष्ट कार्य के लिए या कर्तव्यभार के लिए भारत में निवासी कोई व्यक्ति जिसकी अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होती है, भारत का निवासी है किंतु स्थायी तौर पर निवासी नहीं है।
8. किसी व्यक्ति को, रुकने की अवधि पर ध्यान न देते हुए, कारोबारी यात्रा के लिए या किसी सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए या विशेष प्रशिक्षण के लिए या चिकित्सीय उपचार के लिए विदेश जाने वाले रोगी के खर्चों को वहन करने के लिए या विदेश में जाँच कराने के लिए या चिकित्सीय उपचार/जाँच के लिए विदेश जाने वाले रोगी के साथ सहायक के रूप में रहने के लिए 25,000 अमरीकी डॉलर से अधिक की विदेशी मुद्रा जारी करना।
 9. विदेश में चिकित्सीय उपचार के खर्चों को पूरा करने के लिए भारत में चिकित्सक या विदेशी अस्पताल/चिकित्सक के अनुमान से अधिक मुद्रा जारी करना।
 10. विदेश में पढ़ने के लिए विदेशी संस्थान के अनुमान से अधिक या 100,000 अमरीकी डॉलर प्रति शैक्षणिक वर्ष, जो भी अधिक हो, मुद्रा जारी करना।

11. भारत में आवासीय फ्लैटों अथवा वाणिज्यिक प्लाटों की बिक्री के लिए विदेश के एजेंट को प्रति लेनदेन कमीशन 25,000 अमरीकी डॉलर से अधिक या आवक विप्रेषण के 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो।
12. हटा दिया गया
13. हटा दिया गया
14. हटा दिया गया
15. \$ भारत के बाहर से ली गई परामर्शी सेवाओं हेतु प्रति परियोजना 10,000,000 अमरीकी डॉलर से अधिक के विप्रेषण।
16. हटा दिया गया
17. भारत स्थित किसी कंपनी द्वारा निगमन पूर्व व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए 1,00,000 अमरीकी डॉलर से जो अधिक के विप्रेषण।
18. हटा दिया गया

(संशोधन)

17 अगस्त 2000 की अधिसूचना जी.एस.आर.663(ई), 30 मार्च 2001 का एस.ओ.301(ई), 20 दिसंबर 2002 की जी.एस.आर.831(ई), 16 जनवरी 2003 की जी.एस.आर.33(ई), 14 मई 2003 की जी.एस.आर.397(ई), 11 सितंबर 2003 की जी.एस.आर.731(ई), 29 अक्तूबर 2003 की जी.एस.आर.849(ई), 13 सितंबर 2004 की जी.एस.आर.608(ई), 28 जुलाई 2005 की जी.एस.आर.512 (ई) और 11 जुलाई 2006 की जी.एस.आर.412(ई),

कृपया नोट करें:

@ [20 दिसंबर 2006 के ए.पी.\(डीआईआर सीरीज़\) परिपत्र सं.24](#) द्वारा संशोधित।

20 दिसंबर 2006 एवं 30 अप्रैल 2007 के क्रमशः के ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.24 एवं [45](#) द्वारा संशोधित।

\$ [30 अप्रैल 2007 के ए.पी.\(डीआईआर सीरीज़\) परिपत्र सं.46](#) द्वारा संशोधित।

*[30 अप्रैल 2007 के ए.पी.\(डीआईआर सीरीज़\) परिपत्र सं.47](#) द्वारा संशोधित।

आवश्यक गजट अधिसूचनाएं जारी की जाती हैं।

ईएफसी

(निर्यातकों द्वारा भारत अथवा विदेश में किसी बैंक में
विदेशी मुद्रा खाता खोलने के लिए आवेदनपत्र)

अनुदेश:

1. आवेदनपत्र दो प्रतियों में भरा जाये और भारत में विदेशी मुद्रा का कारोबार करने वाले बैंक की नामित शाखा, जिसमें विदेशी मुद्रा खाता रखा जाना है/जो कि इन खातों के लेनदेनों पर निगरानी रखेगा, के जरिये भारतीय रिजर्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जाए जिसके अधिकारक्षेत्र में निर्यातक रहता है।
2. भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदनपत्र अग्रेसित करने से पूर्व प्राधिकृत बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवेदनपत्र विधिवत भरा गया है, उसकी अच्छी तरह से जाँच कर लें।

प्रलेखन :

3. निर्यातक द्वारा विगत 3 वर्षों के दौरान वसूल किए गए तथा नियत तारीख के बाद बकाया निर्यात बिलों का उल्लेख करते हुए घोषणापत्र जिसे लेखापरीक्षक द्वारा विधिवत् प्रमाणित किया गया हो।
4. विगत 3 वर्षों के दौरान किये गये आयातों का देश-वार ब्योरा देते हुए लेखापरीक्षक द्वारा जारी प्रमाणपत्र।
5. प्रस्तावित ऋण/ ओवरड्राफ्ट / ऋण सहायता सुविधा संबंधी शर्तों का उल्लेख करने वाले समुद्रपारीय बैंक द्वारा जारी पत्रों की प्रमाणित प्रतियां।
6. लिये गये विदेशी मुद्रा ऋण के संबंध में परिपक्वता पैटर्न का उल्लेख करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की प्रमाणित प्रतियां।

1.	निर्यातक का नाम व पता			
2.	आयातक-निर्यातक की कूट संख्या			
3.	बैंक/ शाखा जिसके साथ विदेशी मुद्रा खाता रखना प्रस्तावित है, का नाम व पता			
4.	उस स्थिति में जब कि भारत से बाहर विदेशी मुद्रा खाता रखा जाना है, भारत में उस बैंक/ शाखा का नाम व पता जो कि विदेशी मुद्रा खाते के जरिये किये जाने वाले लेनदेनों पर निगरानी रखेगा।			
5.	विगत 3 वर्षों के दौरान किये गये निर्यातों और वसूली तथा -----	वित्तीय वर्ष	किया गया कुल निर्यात (रु.)	वसूल की गयी राशि (रु.) -----के अंत में

	-----के अंत में बकाया				बकाया(रु.)
6.	कैलेंडर वर्ष के दौरान किये गये आयातों का विगत 3 वर्षों का ब्योरा, देश-वार व राशि सहित दें।	वित्तीय वर्ष	देश	राशि (रु)	
7.	यदि विदेश स्थित बैंक में खाता खोलने का प्रस्ताव है तो उस बैंक, जिसमें खाता रखा जाएगा, से ऋण/ओवरड्राफ्ट /क्रेडिट सुविधा लेने के बारे में ब्योरे दें।				
8	आगामी वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा खाते में जमा की जाने वाली निर्यात- प्राप्तियों और विभिन्न मदों के अंतर्गत विदेशी मुद्रा खाते से किये जाने वाले भुगतानों का तिमाही-वार पूर्वानुमान।				
9.	क्या कभी निर्यातक का नाम सतर्कता सूची में रखा गया है/था ?				
10.	निर्यातक द्वारा लिए गए विदेशी मुद्रा ऋण और उनकी परिपक्वता के पैटर्न के ब्योरे।				
11.	कोई अन्य जानकारी जिसे आवेदक अपने आवेदनपत्र के समर्थन में देना चाहे ।				
स्थान :	-----				
दिनांक :	-----	-----			
	मुहर	आवेदक/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर			
		नाम:			
		पदनाम:			

(प्राधिकृत व्यापारी के अभिमत के लिए स्थान)

भारत में बैंक की उस शाखा के अभिमत जिसके पास खाता रखने का प्रस्ताव है अथवा जो विदेश में, यथास्थिति, किसी बैंक में रखे गये खाते के लेनदेनों पर निगरानी रखेगा।

स्थान :	-----	
दिनांक :	-----	-----
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">मुहर</div>	आवेदक/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
		नाम:
		पदनाम:
		प्राधिकृत व्यापारी का नाम व पता

बल्क में प्रस्तुत सॉफ्टवेक्स फॉर्मों का फॉर्मेट															
समरी शीट															
खंड - ए															
निर्यातक का नाम और पता											आईईसी कोड:				
अनुमति पत्र सं. (एलओपी) (एसटीपी/ईएचटीपी/एसईजेड/ईपीजेड/100% ईओयू/डीटीए यूनिट)											अनुमति पत्र जारी करने की तारीख:				
प्राधिकृत डाटाकॉम सेवा प्रदाता का नाम											एसटीपीआई/एसईजेड सेंटर:				
प्राधिकृत व्यापारी/बैंक का नाम और पता											प्राधिकृत व्यापारी कोड:				
खंड - बी															
डाटाकॉम/लैंक के जरिये ऑफशोर निर्यात मूल्य के लिए बीजकों की सूची															
-----से-----तक जारी बीजकों की अवधि															
क्रम सं.	सॉफ्टवेक्स सं.	ग्राहक का नाम	ग्राहक का पता	देश	आंतरिक परियोजना कोड/संविदा/करार सं. और तारीख	निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर का स्वरूप/प्रकार	वूसली का तरीका (mode)	बीजक सं.	बीजक का दिनांक (दिदि/मासा/वव)	मुद्रा (currency)	निर्यात मूल्य का विक्षेपण				
											साफ्टवेयर का निर्यात मूल्य (ए)	प्रेषण शुल्क (बी)	कमीशन (सी)	कटौती (डी)	निवल वसूलनीय मूल्य [(ए+बी)-(सी+डी)]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.

खंड - सी

निर्यातक द्वारा घोषणापत्र

मैं/हम@ एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ/करते हैं कि मैं/हम@ सॉफ्टवेयर का/की विक्रेता हूँ/हैं जिसके संबंध में यह घोषणा की गई है और उपर्युक्त दिये गये व्योरे सही हैं और खरीददार से प्राप्त किया जाने वाला मूल्य संविदागत तथा उपर्युक्त घोषित निर्यात के मूल्य को दर्शाता है। मैं/हम@ यह भी घोषित करता/करती हूँ/करते हैं कि सॉफ्टवेयर प्राधिकृत और वैध डाटाकॉम लिंक्स का उपयोग करते हुए विकसित तथा वास्तव में निर्यात किया गया है और यह प्रमाणित किया जाता है कि उल्लिखित साफ्टवेयर वास्तव में ट्रांसमिट किया गया था। मैं/हम@ यह वचन देता/देती हूँ/देते हैं कि मैं/हम@ उपर्युक्त के अनुसार निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर के पूरण मूल्य को दर्शाने विदेशी मुद्रा उपर्युक्त प्राधिकृत बैंक को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत बनाए गये विनियमों में विनिर्दिष्ट तरीके से ----- (दिनांक) को अथवा उसके पहले (अर्थात भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट अविध के भीतर) सुपुर्द करूँगा/करूँगी/करेंगे।

मैं/हम@ भारतीय रिज़र्व बैंक की सचेतक सूची में नहीं हूँ/हैं।

स्थान :

तारीख :

नाम :

पदनाम :

मुहर (स्टैम्प)

निर्यातक के हस्ताक्षर

एसटीपीआई/ईपीजेड/एसईजेड के सक्षम प्राधिकारी के उपयोग के लिए

प्रमाणित किया जाता है कि एसईजेड/एसटीपीआई की इकाई द्वारा की गई उपर्युक्त घोषणा कि ऊपर वर्णित साफ्टवेयर का निर्यात किया गया है एवं निर्यातक द्वारा इस फार्म में घोषित निर्यात मूल्य उक्त इकाई द्वारा प्रस्तुत तदनुसारी इनवाइस/इनवासों के सारांश एवं घोषणा के अनुसार है/हैं।

स्थान :

तारीख :

नाम : _____
 पदनाम : मुहर (स्टैम्प) एसटीपीआई/ईपीजेड/एसईजेड के नामित/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

@ जो लागू न हो उसे काट दें।

रॉयल्टी प्राप्ति के लिए बल्क में प्रस्तुत सॉफ्टवेक्स फॉर्मों का फॉर्मेट															
समरी शीट															
खंड - ए															
निर्यातक का नाम और पता										आईईसी कोड:					
अनुमति पत्र सं. (एलओपी)(एसटीपी/ईएचटीपी/एसईजेड/ईपीजेड/100% ईओयू/डीटीए यूनिट)										अनुमति पत्र जारी करने की तारीख:					
प्राधिकृत डाटाकॉम सेवा प्रदाता का नाम										एसटीपीआई/एसईजेड सेंटर:					
प्राधिकृत व्यापारी/बैंक का नाम और पता										प्राधिकृत व्यापारी कोड:					
खंड - बी															
डाटाकॉम/लिक के जरिये ऑफशोर निर्यात मूल्य के लिए बीजकों की सूची															
से-तक की अवधि के दौरान निर्यातित सॉफ्टवेयर पैकेज/उत्पादों पर रॉयल्टी के लिए बीजकों के व्योरे															
क्रम सं.	सॉफ्टवेक्स सं.	ग्राहक का नाम	ग्राहक का पता	देश	मुद्रा	बीजक संख्या	बीजक अवधि (दिशि/मम/वव)	युनिक आंतरिक परियोजना कोड/संविदा/ करार सं. और तारीख	बीजक मुद्रा में दर्ज ऑफशोर निर्यात मूल्य	निर्यातित सॉफ्टवेयर का स्वरूप/ प्रकार	निर्यातित सॉफ्टवेयर पैकेज/उत्पादों के व्योरे			रॉयल्टी मूल्य की वसूली का तरीका	रॉयल्टी राशि की गणना
											निर्यात की तारीख	रॉयल्टी करार के व्योरे	रॉयल्टी करार की अवधि		
										जीआर/एसडीएफ/पी पी/सॉफ्टवेक्स/ईडीएफ फार्म सं. जिस पर निर्यातों की घोषणा की गई					

खंड - सी

निर्यातक द्वारा घोषणापत्र

मैं/हम @ एन द्वारा घोषित करता/करती हूँ/करते हैं कि मैं/हम @ सॉफ्टवेयर का/की विक्रेता हूँ/हैं जिसके संबंध में यह घोषणा की गई है और उपर्युक्त दिये गये व्योरे सही हैं और खरीददार से प्राप्त किया जाने वाला मूल्य संविदागत तथा उपर्युक्त घोषित निर्यात के मूल्य को दर्शाता है। मैं/हम @ यह भी घोषित करता/करती हूँ/करते हैं कि सॉफ्टवेयर प्राधिकृत और वैध डाटाकॉम लिक्स का उपयोग करते हुए विकसित तथा वास्तव में निर्यात किया गया है और यह प्रमाणित किया जाता है कि उल्लिखित सॉफ्टवेयर वास्तव में ट्रान्स्मिट किया गया था। मैं/हम @ यह वचन देता/देती हूँ/देते हैं कि मैं/हम @ उपर्युक्त के अनुसार निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर के पूर्ण मूल्य को दर्शाने विदेशी मुद्रा उपर्युक्त प्राधिकृत बैंक को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत बनाए गये विनियमों में विनिर्दिष्ट तरीके से -----(दिनांक) को अथवा उसके पहले (अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट अविध के भीतर) सुपुर्द करूंगा/करूंगी/करेंगे।

मैं/हम @ भारतीय रिज़र्व बैंक की सचेतक सूची में नहीं हूँ/हैं।

स्थान : _____
 तारीख : _____
 नाम : _____
 पदनाम : मुहर (स्टैम्प)

निर्यातक के हस्ताक्षर

एसटीपीआई/ईपीजेड/एसईजेड के सक्षम प्राधिकारी के उपयोग के लिए

प्रमाणित किया जाता है कि एसईजेड/एसटीपीआई की इकाई द्वारा की गई उपर्युक्त घोषणा कि ऊपर वर्णित सॉफ्टवेयर का निर्यात किया गया है एवं निर्यातक द्वारा इस फार्म में घोषित निर्यात मूल्य उक्त इकाई द्वारा प्रस्तुत तदनुसारी इनवाइस/इनवाइसों के सारांश एवं घोषणा के अनुसार है/हैं।

स्थान : _____
 तारीख : _____
 नाम : _____
 पदनाम : मुहर (स्टैम्प) एसटीपीआई/ईपीजेड/एसईजेड के नामित/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

@ जो लागू न हो उसे काट दें।

1. संशोधित क्रियाविधि : एसटीपीआई को सॉफ्टवेयर निर्यातों की रिपोर्टिंग

ए. अवधि – मासिक

बी. समय सीमा – बीजक जिस माह में बनाया गया हो, उस माह की समाप्ति से **30 दिनों के भीतर**

सी. प्रयोज्यता – वार्षिक पण्यावर्त 1000 करोड़ रुपये से अधिक अथवा वर्ष में कम से कम 600 सॉफ्टवेक्स फॉर्म प्रस्तुत करने वाले सॉफ्टवेयर निर्यातक ।

डी. सॉफ्टेक्स नंबर - सॉफ्टेक्स नंबर निर्यातक की आवश्यकताओं के आधार पर वर्ष में एक बार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्रीय रूप से विनियोजित/जारी किये जाएंगे, जो बड़े निर्यातकों द्वारा सभी स्थानों के लिए वर्ष के दौरान प्रयोग किये जाने वाले 200,000 नंबर तक हो सकते हैं। यदि सॉफ्टेक्स नंबर समाप्त हो जाएं तो निर्यातक, नंबरों के आबंटन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को फिर से आवेदन कर सकता है। निर्यातक, आबंटित किये गये सॉफ्टेक्स नंबर का उपयोग किसी ग्राहक विशेष के लिए प्रत्येक बीजक हेतु अथवा **एक ही मुद्रा** के बीजकों के समूह के लिए कर सकता है। **सॉफ्टेक्स नंबर**, किसी निर्यात लेनदेन को पहचानने के लिए नियंत्रक नंबर होगा ।

ई. जानकारी के ब्योरे – संलग्नक ए में दिए गए टैम्प्लेट के अनुसार जिसमें मोटे तौर पर निम्नलिखित जानकारी कवर होगी

i. निर्यातक का नाम और पता

ii. अनुमति पत्र का नंबर और तारीख

iii. प्राधिकृत डाटा कॉम सेवा प्रदाता का नाम

iv. आयात निर्यात कूट (कोड) नंबर

v. सॉफ्टवेयर निर्यात संबंधी घोषणा

vi. निम्नलिखित अवधि के दौरान सॉफ्टवेयर के निर्यात के ब्योरे

ए) प्रस्तुतीकरण की अवधि अर्थात् महीने का नाम

बी) सॉफ्टेक्स नंबर

सी) ग्राहक का नाम

डी) ग्राहक का पता

ई) देश का नाम जिसे निर्यात किया गया

एफ) बीजक संख्या

जी) बीजक की तारीख

एच) परियोजना कूट(कोड) अथवा संविदा अथवा करार अथवा खरीद आदेश संख्या तथा तारीख

आई) निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर का प्रकार (स्वरूप)

जे) बीजक मुद्रा

के) ऑफशोर बीजक मूल्य

vii. संलग्नक बी के अनुसार निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर पैकेजों/उत्पादों पर रॉयल्टी के कारण

बिलिंग (billings)के ब्योरे

ए) प्रस्तुतीकरण की अवधि अर्थात् महीने का नाम

बी) सॉफ्टवेक्स नंबर

सी) ग्राहक का नाम

डी) ग्राहक का पता

ई) देश का नाम जिसे निर्यात किया गया

एफ) बीजक संख्या

जी) बीजक की तारीख

एच) युनिक आंतरिक परियोजना कूट (कोड) अथवा संविदा अथवा करार अथवा खरीद आदेश सं. तथा तारीख

आई) बीजक मुद्रा

जे) ऑफशोर बीजक मूल्य

के) निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर पैकेज(पैकेजों)/उत्पाद/(उत्पादों) के ब्योरे

एल) रॉयल्टी करार के ब्योरे

1. रॉयल्टी का प्रतिशत और राशि

2. रॉयल्टी करार की अवधि

3. रॉयल्टी मूल्य वसूली का तरीका

4. रॉयल्टी राशि की गणना

viii. प्राधिकृत व्यापारी का नाम ई-मेल आईडी सहित प्रत्येक विस्तृत(Bulk) विवरण के खंड ए में दिया जाना चाहिए (संलग्नक ए और बी)। यदि एक से अधिक प्राधिकृत व्यापारी हों तो निर्यातक पूरे ब्योरे दें अर्थात् बैंक का नाम, पता तथा प्राधिकृत व्यापारी कूट (कोड) के ब्योरे एवं निम्नलिखित जानकारी

ए) निर्यातक द्वारा ली गयी साख पत्र (L/C) सुविधा के ब्योरे

बी) निर्यातक द्वारा ली गयी बैंक गारंटी के ब्योरे

सी) बैंक खाते के ब्योरे जिसमें अंतरण/जिससे विप्रेषण किये जाते हैं

ix. निर्यातक का ई-मेल आईडी विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए, जिसे प्रमाणित विस्तृत(Bulk) सॉफ्टवेक्स विवरण भेजा जाएगा

एफ. सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करना – उपर्युक्त ब्योरों के साथ समरी (Summary) एक्सेल शीट में सॉफ्टवेयर निर्यात घोषणापत्र।

जी. हार्ड कॉपी प्रस्तुत करना – समरी शीट घोषणापत्रों तथा चार प्रतियों में संलग्नक की प्रतियों के साथ कवरिंग लेटर। समरी के साथ सॉफ्टेक्स फॉर्मों, बीजकों, एसओडब्ल्यू, एमएसए तथा अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

एच. अतिरिक्त जानकारी – एसटीपीआई के अनुरोध पर, सॉफ्टवेयर निर्यातक को, चयनित नमूना बीजकों के बारे में अतिरिक्त ब्योरे, अनुरोध किये जाने से 30 दिनों के भीतर अथवा निर्यातक के अनुरोध पर निदेशक, एसटीपीआई के विवेकानुसार किसी यथोचित बढ़ायी गयी अवधि में प्रस्तुत करना आवश्यक है।

आई. अतिरिक्त जानकारी के लिए समय अवधि – एसटीपीआई, सॉफ्टेक्स की फाइलिंग के साथ रिकार्डों को तदनु रूप बनाने के लिए आवधिक रूप से परंतु छः महीनों से अनधिक अवधि के दौरान नमूना लेखा-परीक्षा करेंगे। तथापि, यह विनियामक को फेमा के अनुसार पुराने रिकार्डों के मांगने से नहीं रोकता है।

जे. एसटीपीआई, बल्क सॉफ्टेक्स विवरण, सॉफ्टवेयर निर्यातक को हार्ड कॉपी में तथा भारतीय रिज़र्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, प्राधिकृत व्यापारी तथा पासवर्ड प्रोटेक्शन (एसटीपीआई द्वारा दिया जाना है) के साथ निर्यातक को सॉफ्ट कॉपी प्रेषित करेगा।

के. प्राधिकृत व्यापारी यह जानकारी आगे की प्रक्रिया के लिए अपने सिस्टम्स में अपलोड करेंगे।

एल. प्राधिकृत व्यापारी, संलग्नक सी के अनुसार, संकलन (वसूली) के बाद निर्यातक द्वारा दिये गये ब्योरों के आधार पर एडी आंतरिक नियंत्रण संख्या का उपयोग करते हुए सॉफ्टेक्स का निपटान करेंगे।

2. प्राधिकृत व्यापारियों को सॉफ्टवेयर निर्यात वसूलियों की रिपोर्टिंग

सॉफ्टवेयर निर्यातक विदेशों में कलेक्शन खाता रख सकते हैं अथवा भारत में रखे गये बैंक खाते में सीधे ही राशि जमा करा सकते हैं, जहाँ ग्राहकों को जारी व्यक्तिगत बीजक संकलित किये जाते हैं। फेमा के तहत अनुमत "ऑनसाइट" शाखा व्यय चुकाने के बाद, निवल राशि भारत को प्रेषित की जाएगी। इसमें "ऑफसाइट" निर्यातों की 100% वसूली भी शामिल होगी।

ए. अवधि - त्रैमासिक

बी. प्रयोज्यता- वार्षिक पण्यावर्त 1000 करोड़ रुपये से अधिक अथवा वर्ष में कम से कम 600 सॉफ्टेक्स फॉर्म प्रस्तुत करने वाले सॉफ्टवेयर निर्यातक।

सी. जानकारी के ब्योरे – संलग्नक सी के अनुसार, जिसमें निम्न जानकारी कवर होगी

- i. निर्यातक का नाम और पता
- ii. आयात निर्यात कूट (कोड) नंबर
- iii. बीजक वार कलेक्शन के ब्योरे (अनुबंध ए)

- ए) सॉफ्टेक्स नंबर
- बी) ग्राहक का नाम
- सी) बीजक संख्या
- डी) बीजक की तारीख
- ई) बीजक मुद्रा
- एफ) ऑफशोर बीजक मूल्य

- जी) वसूल किया गया ऑफशोर बीजक मूल्य
 एच) निर्यात के बाबत आमद (राशि) वसूल करने की तारीख
 आई) बैंक का नाम
 जे) बैंक किस देश का है
- iv. भारत में विदेशी मुद्रा आवक विप्रेषण के ब्योरे (अनुबंध बी)। प्राधिकृत व्यापारी संलग्नक बी के लिए एक नियंत्रण नंबर देगा, जिसका उपयोग उनके द्वारा संलग्नक ए में सभी सॉफ्टवेक्स फॉर्मों के निपटान के लिए किया जाएगा।

ए) समुद्रपारीय बैंक खातों से भारत में आवक विप्रेषण

1. प्राधिकृत व्यापारी का नाम और पता, जिसके मार्फत राशि प्राप्त की गयी है।
2. आवक विप्रेषण के ब्योरे जैसे एफआईआरसी संख्या, तारीख, राशि तथा विदेशी मुद्रा के नाम
3. समुद्रपारीय बैंक का नाम और पता जिससे विप्रेषण किया गया है।

बी) सॉफ्टवेयर के निर्यातों के बदले ग्राहकों से भारत में सीधे आवक विप्रेषण

1. प्राधिकृत व्यापारी का नाम और पता, जिसके मार्फत राशि प्राप्त की गयी है।
2. आवक विप्रेषण के ब्योरे जैसे एफआईआरसी संख्या, तारीख, राशि तथा विदेशी मुद्रा के नाम
3. ग्राहक का नाम और पता जिससे विप्रेषण प्राप्त किया गया है।

v. प्रलेखन : उपर्युक्त ब्योरों के साथ परांकन के लिए विदेशी आवक विप्रेषण प्रमाणपत्र प्राधिकृत व्यापारी को दिये जाने हैं

vi. सॉफ्टवेयर निर्यातक, बीजकों के लिए प्राधिकृत व्यापारी को क्रेडिट नोट प्रस्तुत करेंगे, जो एसटीपीआई द्वारा पहले ही प्रमाणित किया गया है तथा संबंधित सॉफ्टवेक्स फॉर्मों का निपटान करेंगे।

3. आवधिक सॉफ्टवेयर निर्यात घोषणापत्र का ऑन लाइन प्रस्तुतीकरण

एसटीपीआई सॉफ्टवेक्स फॉर्म के प्रस्तुतीकरण का कम्प्यूटरायज़ेशन कर रहे हैं। एसटीपीआई को यह सुनिश्चित करना होगा कि सॉफ्टवेक्स फॉर्मों के कम्प्यूटरायज़ेशन और आंकड़ों का संचय इस प्रकार हो कि संलग्नक ई में दर्शाये गये 'सॉफ्टवेक्स कार्ड डिज़ाइन' के साथ कंपैटिबल तथा संलग्नक डी में दर्शाये गये ब्योरे के अनुसार 'ईएनसी फाइल फॉर्मेट' में रिपोर्ट जनरेट कर सके।

ध्यान दीजिए: एसटीपीआईएस के पूर्ण कम्प्यूटरीकृत होने पर, निर्यातक अपना बल्क विवरण एसटीपीआई सिस्टम को अपलोड करेगा, जिसका सत्यापन और प्रमाणन एसटीपीआई द्वारा किया जाएगा तथा प्रमाणित जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, निर्यातक के साथ ही साथ प्राधिकृत व्यापारी को ऑन लाइन भेजेगा । अंततः डाटा सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को अभिलेख के लिए भेजा जाएगा और उसकी एक प्रति एसटीपीआई अपने पास रखेगी ।

अनुबंध - ए

ब्लक में प्रस्तुत सॉफ्टवेक्स फॉर्मों का फॉर्मेट										
समरी शीट										
खंड - ए										
निर्यातक का नाम और पता								अवधि (से-----तक):		
अनुमति पत्र सं. (एलओपी)(एसटीपी/ईएचटीपी/एसईजेड/ईपीजेड/ 100% ईओयू/डीटीए यूनिट)								अनुमति पत्र जारी करने की तारीख:		
प्राधिकृत डाटाकॉम सेवा प्रदाता का नाम								आईईसी कोड:		
प्राधिकृत व्यापारी/बैंक का नाम और पता								प्राधिकृत व्यापारी कोड:		
खंड - बी										
डाटाकॉम/लिक के जरिये ऑफशोर निर्यात मूल्य के लिए बीजकों की सूची										
-----से-----तक जारी बीजकों की अवधि										
क्रम सं.	सॉफ्टवेक्स सं.	ग्राहक का नाम	ग्राहक का पता	देश	मुद्रा	बीजक संख्या	बीजक अवधि (दि./माह/वर्ष)	आंतरिक परियोजना कोड/संविदा करार सं. और तारीख	निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर का स्वरूप (भा.रि.बैंक का दिया विशिष्ट कोड) ईएक्स 906 से 911 बाद में विनिर्दिष्ट करें	विदेशी मुद्रा में ऑफशोर निर्यात मूल्य (इनवाइस की राशि)

खंड - सी

निर्यातक द्वारा घोषणापत्र

मैं/हम एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ/करते हैं कि मैं/हम सॉफ्टवेयर का/की विक्रेता हूँ/हैं जिसके संबंध में यह घोषणा की जाती है और उपर्युक्त में दिये गये व्योरे सही हैं और खरीददार से प्राप्त किया जाने वाला मूल्य, संविदागत तथा उपर्युक्त घोषित निर्यात के मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। मैं/हम यह भी घोषित करता/करती हूँ/करते हैं कि सॉफ्टवेयर प्राधिकृत और वैध डाटाकॉम लिंक्स का उपयोग करते हुए विकसित तथा निर्यातित किया गया है।

मैं/हम वचन देता/देती हूँ/देते हैं कि मैं/हम उपर्युक्त के अनुसार निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर के पूर्ण मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाली विदेशी मुद्रा उपर्युक्त बैंक को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत बनाए गये विनियमों में विनिर्दिष्ट तरीके से -----(दिनांक) को अथवा उसके पहले (अर्थात् बीजक की तारीख/ माह के दौरान जारी अंतिम बीजक की तारीख से छः महीनों के भीतर) सुपुर्द करूंगा/करूंगी/करेंगे।

स्थान :

तारीख :

नाम :

पदनाम :

मुहर (स्टैम्प)

निर्यातक के हस्ताक्षर

एसटीपीआई/ईपीजेड/एसईजेड में सक्षम प्राधिकारी के उपयोग के लिए जगह

*1. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सॉफ्टवेयर वास्तविक रूप में प्रेषित किया गया था तथा निर्यातक द्वारा घोषित निर्यात मूल्य सही पाया गया है और हमने उसे स्वीकार किया है।

*2. एसईजेड ईकाई द्वारा की गयी उल्लिखित घोषणा के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर वर्णित सॉफ्टवेयर और निर्यातक द्वारा घोषित निर्यात मूल्य सही पाया गया है और हमने उसे स्वीकार किया है।

स्थान :

तारीख :

नाम :

पदनाम :

मुहर (स्टैम्प)

*जो लागू न हो उसे हटा दें

अतुल्यक - बी

रॉयल्टी प्राप्ति के लिए बल्क में प्रस्तुत सॉफ्टवेक्स फॉर्मों का फॉर्मेट															
समरी शीट															
खंड - ए															
निर्यातक का नाम और पता												अवधि (से----तक):			
अनुमति पत्र सं. (एलओपी)(एसटीपी/ईएचटीपी/एसईजेड/ईपीजेड/ 100% ईओयू/डीटीए यूनिट)												अनुमति पत्र जारी करने की तारीख:			
प्राधिकृत डाटाकॉम सेवा प्रदाता का नाम												आईईसी कोड:			
प्राधिकृत व्यापारी/बैंक का नाम और पता												प्राधिकृत व्यापारी कोड:			
खंड - बी															
डाटाकॉम/लिक के जरिये ऑफशोर निर्यात मूल्य के लिए बीजकों की सूची															
से----- तक की अवधि के दौरान निर्यातित सॉफ्टवेयर पैकेज/उत्पादों पर रॉयल्टी के लिए बीजकों के ब्योरे															
क्र. सं.	सॉफ्टेक्स सं.	ग्राहक का नाम	ग्राहक का पता	देश	मुद्रा	बीजक संख्या	बीजक अवधि (दि/माह/वर्ष)	युनिक आंतरिक परियोजना कोड/संविदा करार सं. और तारीख	बीजक मुद्रा में दर्ज ऑफशोर निर्यात मूल्य	निर्यातित सॉफ्टवेयर के ब्योरे	निर्यातित सॉफ्टवेयर पैकेजों/उत्पादों के ब्योरे			रॉयल्टी मूल्य की वसूली का तरीका	रॉयल्टी राशि की गणना
											जीआर/एसडीएफ/पीपी/सॉफ्टवेक्स पार्म सं.जिस पर निर्यातों की घोषणा की गई	निर्यात की तारीख	रॉयल्टी करार के ब्योरे रॉयल्टी का प्रतिशत और राशि		

खंड - सी

निर्यातक द्वारा घोषणापत्र

मैं/हम एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ/करते हैं कि मैं/हम सॉफ्टवेयर का/की विक्रेता हूँ/हैं जिसके संबंध में यह घोषणा की जाती है और उपर्युक्त दिये गये ब्योरे सही हैं और खरीददार से प्राप्त किया जाने वाला मूल्य, संविदागत तथा उपर्युक्त घोषित निर्यात मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। मैं/हम यह भी घोषित करता/करती हूँ/करते हैं कि सॉफ्टवेयर प्राधिकृत और वैध डाटाकॉम लिंक्स का उपयोग करते हुए विकसित तथा निर्यातित किया गया है।

मैं/हम वचन देता/देती हूँ/दिते हैं कि मैं/हम उपर्युक्त के अनुसार निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर के पूर्ण मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाली विदेशी मुद्रा उपर्युक्त बैंक को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत बनाए गये विनियमों में विनिर्दिष्ट तरीके से ----- को अथवा उसके पहले (अर्थात् बीजक की तारीख/ माह के दौरान उठाये गये अंतिम बीजक की तारीख से छः महीनों के भीतर) सुपुर्द करूँगा/करूँगी/करेंगे।

स्थान :

तारीख :

नाम :

पदनाम :

मुहर (स्टैम्प)

निर्यातक के हस्ताक्षर

एसटीपीआई/ईपीजेड/एसईजेड में सक्षम प्राधिकारी के उपयोग के लिए जगह

*1. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सॉफ्टवेयर वास्तविक रूप में प्रेषित किया गया था तथा निर्यातक द्वारा घोषित निर्यात मूल्य सही पाया गया है और हमने उसे स्वीकार किया है।

*2. एसईजेड ईकाई द्वारा की गयी उल्लिखित घोषणा के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर वर्णित सॉफ्टवेयर और निर्यातक द्वारा घोषित निर्यात मूल्य सही पाया गया है और हमने उसे स्वीकार किया है।

स्थान :
तारीख :
नाम :
पदनाम :

मुहर (स्टैम्प)

एसटीपीआई/ईपीजेड/एसईजेड के नामित अधिकारी के हस्ताक्षर

*जो लागू न हो उसे हटा दें

संलग्नक 'सी'

-----को समाप्त तिमाही के लिए साफ्टवेयर निर्यात के संबंध में वसूली संबंधी घोषणा

1	निर्यातक का नाम और पता	
2	आयात-निर्यात कोड:	
3	संबंधित वसूली(collection) खाते में इनवाइसों के मार्फत हुई वसूली के ब्योरे	अटैचमेंट 'ए' के अनुसार
4	साफ्टवेयर निर्यात के प्रति विदेशी आवक विप्रेषणों के ब्योरे	अटैचमेंट 'बी' के अनुसार

हम एतद्वारा घोषित करते हैं कि हम ही उक्त साफ्टवेयर के बिक्रेता हैं जिसके संबंध में घोषणा की गई है एवं ऊपर तथा संलग्न अनुबंध 'ए' एवं 'बी' में दिए गए ब्योरे सही हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि उक्त साफ्टवेयर अधिकृत एवं वैध डाटाकाम लिंक का प्रयोग करके विकसित एवं निर्यातित किया गया है।

हम वचन देते हैं कि यदि निर्यात के पूरे मूल्य की वसूली विनिर्दिष्ट अवधि में नहीं हो पाएगी, तो उसे हम विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अनुसार अधिसूचित करेंगे एवं विलंब से विप्रेषण के बाबत आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

स्थान:

दिनांक:

निर्यातक के हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम:

----- को समाप्त तिमाही के दौरान सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए जारी बीजकों के ब्योरे,
जिन पर निर्यातगत बिक्री आगम राशि की वसूली की गयी

क्रम सं.	सॉफ्टवेक्स सं.	ग्राहक का नाम	बीजक संख्या	बीजक की तारीख	बीजक मुद्रा	ऑफशोर बीजक मूल्य	वसूल किया गया ऑफशोर बीजक मूल्य	निर्यातगत आगम राशि की वसूली की तारीख	बैंक का नाम	बैंक किस देश का है
	आवधिक घोषणा पत्र प्रस्तुत करते समय प्रयुक्त सॉफ्टवेक्स संख्या का संदर्भ दें									

----- को समाप्त तिमाही के दौरान कुल विदेशी आवक विप्रेषणों के ब्योरे

(I) समुद्रपारीय बैंक खातों से आवक विप्रेषण					
क्रम सं.	प्राधिकृत व्यापारी का नाम और पता	आवक विप्रेषण की तारीख	विदेशी मुद्रा	आवक विप्रेषण की राशि रुपये में	समुद्रपारीय बैंक का नाम और पता जिससे विप्रेषण किया गया है
(I) सॉफ्टवेयर के निर्यात के संबंध में सीधे आवक विप्रेषण					
क्रम सं.	प्राधिकृत व्यापारी का नाम और पता	आवक विप्रेषण की तारीख	विदेशी मुद्रा	आवक विप्रेषण की राशि रुपये में	समुद्रपारीय बैंक का नाम और पता जिससे विप्रेषण किया गया है

विदेशी मुद्रा में व्यय के भुगतान के बाद, शेष राशि हमारे समुद्रपारीय बैंक खातों से हमारे भारतीय बैंकों में विप्रेषित करना आवश्यकता आधारित है।

संलग्नक – डी
ईएनसी फ़ाइल फ़ारमैट

फील्ड	फ़ारमैट	डिफाल्ट विड्थ
एडी कोड (यूनिफार्म कोड -1)	कैरेक्टर (7)	7
दिनांक को समाप्त पखवाडा	वववव/मम/दिदि	8
संविदा (निगोसीएशन) का दिनांक	वववव/मम/दिदि	8
बिल नंबर	कैरेक्टर (7) अर्थात N000001	7
आयातक / निर्यातक कोड	कैरेक्टर (10)	10
जीआर / पीपी / सोफ़्टेक्स फॉर्म नंबर	कैरेक्टर (8) अर्थात AA000001	8
शिपिंग बिल नंबर (ईडीआई लेनदेन के मामले में चार अंकों के पोर्ट कोड सहित)	कैरेक्टर (11)	11
शिपिंग बिल दिनांक	वववव/मम/दिदि	8
सीमा-शुल्क क्रमांक	कैरेक्टर (10)	10
करेंसी	कैरेक्टर (3)	3
इन्वाइस मूल्य	नं. (10)	10
गंतव्य देश	कैरेक्टर (2)	2
फील्ड	फ़ारमैट	डिफाल्ट विड्थ
इन्वाइस मूल्य	नं. (10)	10
गंतव्य देश	कैरेक्टर (2)	2

संलग्नक ई
सॉफ़्टवेक्स डाटा कार्ड डिज़ाइन
(जनवरी 1997 से ; रेकॉर्ड लंबाई 96)

फील्ड नाम	ब्योरा	स्तम्भ	विड्य	वैध कोड
टीएफ़	फॉर्म का प्रकार	1	1	एस
जाँव कोड		2	1	1
पी. ओ. कोड	पंच ऑपरेटर कोड	3	2	पंच 99, यदि पीओ कोड नहीं है
केंद्र	निर्यात का केंद्र	5	1	विदेशी मुद्रा विभाग केंद्र
पेज	पेज सं. (वि.मु.वि.)	6	4	पंच 0000 (चार शून्य)
एमस्टेट	वार्षिक एवं मासिक सांख्यिकी	10	4	वव/मम (वर्ष 2000 हेतु वव 00 होगा)
स्किप	स्किप	14	2	कृपया खाली छोड़ें
वि.मु.वि. जांच सं.	वि.मु.वि. जांच संख्या	16	10	
फॉर्म सं.	सॉफ़्टवेक्स फॉर्म नंबर	26	8	फॉर्म प्रेफिक्स (2 कैरक्टर) सहित 06 अंकों की क्रम संख्या
आई.ई. कोड	आयातक - निर्यातक कोड	34	10	
देश	गंतव्य देश	44	3	
स्किप	स्किप	47	2	कृपया खाली छोड़ें
कमोडिटी	कमोडिटी कोड	49	3	सॉफ़्टवेक्स फॉर्म में दिया गया कमोडिटी कोड
शिप माह (मम/वव)	शिपिंग बिल का माह एवं वर्ष	52	4	वव/मम (वर्ष 2000 हेतु वव 00 होगा)
करेंसी	करेंसी कोड	56	3	
इन्वाइस	इन्वाइस का मूल्य	59	10	
कर. एजे.	एजन्सि कमिशन की मुद्रा	69	3	
एजे. कॉम	एजन्सि कमिशन	72	8	
कस्ट एफ़ओबी	सीमा-शुल्क मूल्य (रु.) (एफ़ओबी)	80	10	
स्किप	स्किप	90	1	कृपया खाली छोड़ें
एल सी	साख पत्र (साख पत्र के तहत है या नहीं)	91	1	1. यदि निर्यात साख पत्र के तहत है 2. अन्य
अपडेट इंडि.	अपडेट इंडिकेटर	92	1	यदि फ़ेश कार्ड है तो खाली छोड़ें 1. हटाए जाने के लिए 2. संशोधन के लिए 3. आपत्ति के तहत हो तो
ओएफ़ इंडि.	ओवरफ़्लो इंडिकेटर	93	1	1.यदि इन्वाइस मूल्य 11 अंकों में है
डबल्यूआर एफ़एसएल नं	गलत फॉर्म क्रम संख्या	94	1	सॉफ़्टवेक्स फॉर्म सही हो तो खाली छोड़ें 1.यदि क्र.सं. (संख्या भाग) 6 अंकों से कम है
पुनः आयात	पुनः आयात इंडिकेटर	95	1	निर्यात के मामले में खाली छोड़ें 1. पुनः आयात के मामले में
निर्यातान्मुख यूनिट	निर्यातान्मुख यूनिट (EoU)	96	1	1. 100% ईओयू के लिए अन्य के मामले में खाली छोड़ें

परिशिष्ट

माल और सेवाओं का निर्यात- मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

क्रम सं.	परिपत्र सं	दिनांक
1.	ए.डी.(एमए सिरीज़) परिपत्र सं.15	31 मई, 1993
2.	ए.डी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.12	9 सितंबर 2000
3.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.4	27 अगस्त, 2001
4.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.5	27 अगस्त, 2001
5.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.6	24 सितंबर 2001
6.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.9	25 अक्तूबर, 2001
7.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.10	1 नवंबर, 2001
8.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.20	28 जनवरी, 2002
9.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.30	26 मार्च, 2002
10.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.34	1 अप्रैल, 2002
11.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.35	1 अप्रैल, 2002
12.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.38	12 अप्रैल, 2002
13.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.53	27 जून, 2002
14.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.54	29 जून, 2002
15.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.2	4 जुलाई, 2002
16.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.10	14 अगस्त, 2002
17.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.11	14 अगस्त, 2002
18.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.12	28 अगस्त, 2002
19.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.21	16 सितंबर, 2002
20.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.28	3 अक्तूबर, 2002
21.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.33	23 अक्तूबर, 2002
22.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.34	31 अक्तूबर, 2002
23.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.41	8 नवंबर 2002
24.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.61	14 दिसंबर, 2002
25.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.62	17 दिसंबर, 2002
26.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.78	14 फरवरी 2003
27.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.91	1 अप्रैल 2003
28.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.94	26 अप्रैल 2003
29.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.100	2 मई, 2003

30.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.104	31 मई, 2003
31.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.105	16 जून, 2003
32.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.8	16 अगस्त, 2003
33.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.12	20 अगस्त, 2003
34.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.20	23 सितंबर, 2003
35.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.22	24 सितंबर, 2003
36.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.26	3 अक्तूबर, 2003
37.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.30	21 अक्तूबर, 2003
38.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.32	28 अक्तूबर, 2003
39.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.40	5 दिसंबर, 2003
40.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.61	31 जनवरी, 2004
41.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.68	11 फरवरी, 2004
42.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.73	20 फरवरी, 2004
43.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.94	7 जून, 2004
44.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.96	15 जून, 2004
45.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.97	21 जून, 2004
46.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.9	1 सितंबर, 2004
47.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.10	13 सितंबर, 2004
48.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.25	1 नवंबर 2004
49.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.21	10 जनवरी, 2006
50.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.31	21 अप्रैल, 2006
51.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.32	21 अप्रैल, 2006
52.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.15	30 नवंबर, 2006
53.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.18	4 दिसंबर, 2006
54.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.26	8 जनवरी, 2007
55.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.33	28 फरवरी 2007
56.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.37	5 अप्रैल, 2007
57.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.13	6 अक्तूबर, 2007
58.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.49	3 जून, 2008
59.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.50	3 जून, 2008
60.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.4	4 अगस्त, 2008
61.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.6	13 अगस्त, 2008

62.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.43	26 दिसंबर 2008
63.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.51	13 फरवरी 2009
64.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.60	26 मार्च 2009
65.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.70	30 जून 2009
66.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.13	29 अक्तूबर 2009
67.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.14	30 अक्तूबर 2009
68.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.03	22 जुलाई 2010
69.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.17	16 नवंबर 2010
70.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.30	23 दिसंबर 2010
71.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.31	27 दिसंबर 2010
72.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.47	31 मार्च 2011
73.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.15	15 सितंबर 2011
74.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.35	14 अक्तूबर 2011
75.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.40	01 नवंबर 2011
76.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.47	17 नवंबर 2011
77.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.48	21 नवंबर 2011
78.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.65	12 जनवरी 2012
79.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.73	31 जनवरी 2012
80.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.80	15 फरवरी 2012
81.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.81	21 फरवरी 2012
82.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.92	13 मार्च 2012
83.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.124	10 मई 2012
84.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.128	16 मई 2012
85.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 8	18 जुलाई 2012
86.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.12	31 जुलाई 2012
87.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.46	23 अक्तूबर 2012
88.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.47	23 अक्तूबर 2012
89.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.52	20 नवंबर 2012
90.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.66	1 जनवरी 2013
91.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.79	22 जनवरी 2013
92.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.88	12 मार्च 2013
93.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.105	20 मई 2013

94.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.108	11 जून 2013
95.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.109	11 जून 2013
96.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.14	22 जुलाई 2013
97.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.43	13 सितंबर 2013
98.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.60	1 अक्तूबर 2013
99.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.70	8 नवंबर 2013
100.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.100	4 फरवरी 2014
101.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.101	4 फरवरी 2014
102.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.109	28 फरवरी 2014
103.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.132	21 मई 2014
104.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.146	19 जून 2014
105.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.11	22 जुलाई 2014